किंग्ठी ड्रेम् सी-विग , सातवा तत, आई पी एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, ,ागिकी । मार्थ हो मार्थ । विभाग, रान्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

दिनांकः १३।१२/थ

भ्रेवा भ्रे,

पुराना सचिवालय, दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विधान सभा सचिवालय, ,(ाछा।९ न, १२) क जीम पर

. ५३ में महम मिला प्रश्न स. ५७. विषय: दिनांक 15.12.2023 की उत्तर के लिए श्री जितेन्द्र महाजन जी के द्वारा उठाया गया विधान

महोदय,

(ांफ्रिप्र 001) । ई क्ष्किं उत्तर घेर क्ष्य क्षेत्र है। भी जिनेन्द्र महाजन जी के तुरारा कियी जिथान सभी अतार्याकेत प्रश्न स. 57 के सदर्भ सी

अग्रसारित किया जा रहा है। सननीय मंत्री (कला संस्कृति एवं भाषा विभाग) की पूर्व अनुसार अनुसार उचित कायेवाही हेतु आपको

11 m 1 mm 5 भवदीया

(प्रमि किसीर)

(.ाध घंग्र.म.क) घंग्रीम-पट

<u> हिनांक</u>: 13 | 12 थि

द्रशाष: 23392307

3 と - 4 P) ~ Liff 声が. 年. 本. 原本. 氏. 百/2021(609) 正. IP. IP.

1. विशेष कार्य अधिकारी, कार्यालकार, कार्या, कार्या, तार हेप्या, (तार हेप्य, एक) होत प्रतिकार, कार्या प्रतिकार,

2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय , पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9, दिल्ली-110054.(150 प्रतियां संलग्न हैं) सचिवालय, नई दिल्ली -110002

(प्रमिता किसीए)

(.ाध घंग.म.क) घंगीम-पर



विभाग का नाम : कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार विभाग का पता : सातवाँ तल, सी-विंग, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या : 57

दिनांक: 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जितेन्द्र महाजन

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) वर्तमान में इन अकादिमियों में कितने विश लोग अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और कब पर से तथा उनको वर्तमान में कितनी राशि संत वेतन के रूप में प्रदान की जा रही हैं और अन्य क्या सुविधायें दी जा रही हैं ब्यौरा दें;	(ग) सभी अकादिमियों में माननीय मुख्यमंत्री सार्य अन्य मंत्री या अन्य किसी की स्वीकृति डा॰ से कितने लोंगों को नौकरी पर लगाया गया वर्ष है इनकी पूर्ण जानकारी भी प्रदान करें और इन बिना विज्ञापन निकाले कितने लोगों को ब्यं लगाया गया है इसकी जानकारी भी प्रदान उप करें और इनको कितना वेतन या सुविधाएँ दी जा रही हैं इसकी जानकारी प्रदान करें;	(ख) सभी भाषा अकादमी के मेमोरंडम ऑफ़ कर एसोसिएशन से जात है कि इस सभी के चेय चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन अभी कला एवं संस्कृति मंत्री को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग का चेयरमैन बनाया गया है, इस सन्दर्भ में जारी अधिसूचना और माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की कॉपी उपलब्ध कराई जाएँ;	प्रश्न (क) स्ट्रीट फैलाशिप से सम्बंधित योजना स्ट्री की विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई प्रति
विक्षिन्न अकादमियों में वर्तमान में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण <b>अनुलंग्नक 'ख'</b> में संलग्न हैं	साहित्य कला परिषद, विभिन्न भाषा अकादमी तथा डा॰गो॰गि॰ला॰शा॰ प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम की स्थापना वर्ष 1975 के पश्चात भिन्न - भिन्न वर्ष में की गई   इनके स्थापना वर्ष से अब तक की गई नियुक्तियों का ब्यौरा संकलित किया जा रहा है। संकलन के पश्चात उपरोक्त जानकारी यथाशीघ उपलब्ध करा दी जाएगी	कला एवं संस्कृति मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग के चेयरमैन नहीं हैं	उत्तर स्ट्रीट फेलोशिप से संबंधित योजना के विज्ञापन की प्रतिलिपि <b>अनुलग्नक 'क'</b> में संलग्न हैं



प्रश्न	उत्तर
(इ.) कला, संस्कृति के अंतर्गत तथा दिल्ली	कला, संस्कृति के अंतर्गत तथा दिल्ली सरकार के अंतर्गत
सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत	आने वाले सभी स्वायत संसथान में अध्यक्ष तथा वाइस
संसथान में अध्यक्ष तथा वाइस चेयरमैन,	चेयरमैन, उपाध्यक्ष की पावर सम्बंधित स्वायत संस्थान
उपाध्यक्ष की क्या पावर होती हैं;	के मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार निर्धारित होती
	हैं, जिनकी प्रति <b>अनुलंग्नक 'ग'</b> में संलग्न है
(च) उनके द्वारा सभी खर्चौ तथा	उनके द्वारा सभी खर्चों तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में
नियुक्तियों के सन्दर्भ में कोई दिशा निर्देश	अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और चुनाव
जारी किये गए हैं यदि हाँ, तो कृपया काॅपी	के दौरान भी उनकी पावर व नियुक्तियों के अलग से
उपलब्ध कराये और इलेक्शन के दौरान	कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं
उनकी पावर व उनकी नियुक्तियों के सन्दर्भ	
में कोई दिशा - निर्देश जारी किये जाते हैं	
उसके बारे में भी जानकारी देने की कृपा	A-12
करें; और	W. T. da.
(छ) निर्वाचन के दौरान इस सभी स्वायत	निर्वाचन के दौरान इस सभी स्वायत संस्थाओं के अध्यक्ष
संस्थाओं के अध्यक्ष तथा वाइस चेयरमैन	तथा वाइस चेयरमैन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और
कौन होते हैं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध	वे पूर्ववत ही रहते हैं ।
करें	

A. 3415.2Mi

(सी.आर.गर्ग)

सचिव

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग



APT Culture Lunguages

अनुतानक कि

Department of Art, Culture & Lanuages,
Delhi Government's introduces

1800 FELLOWSHIPS FOR STREET PERFORMANCE AND THEATER

Performance and Theatre

.5000 per month to 1000 artists for a period of 1 year

Applications invited from individuals working in the field of acting, direction, script-writing, dance, music and other forms of street performance

To apply



क्या माननीय कला एंव संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: श्री जितेन्द्र महाजन, माननीय विधायक, दिल्ली विधान सभा उत्तर

प्रश्नः 57

四四

दी जा रही है और अन्य क्या सुविधायें वर्तमान में इन अकादिमियों में कितने लोग श्रीमान जी, साहित्य कला परिषद् में अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और कब से तथा वर्तमान में अनुबंध पर कोई कार्य नहीं उनको वर्तमान में कितनी राशि वेतन के रूप में कर रहा है।

कार्यालय प्रमुख/सा०क०प० (सन्तोष शर्मा) ार और जिसे से महाशास भारतीय तिसायका दिस्ता किस्ता है। स्था मनानीस करना एवं प्रतास मंत्री कर स्थान की स्थार स्था है।

	y y de la company de la compan

(57 87 59)

no respect to the state of


पंजावी अन्माद्भी

**Detail of Contractual staff** 

Name of Official	Designation	Date of Appointment	Salary(Lumpsum)
Sh. Sunil	Stenographer	1.2.2004	38000

grange of the same

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110065





### Delhi Sanskrit Academy

(Govt. Of NCT of Delhi)
Plot No. 5, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi, 110005
Email:-delhisanskritacademy@gmail.com , Phone : 011-23635592

Ref. No-एफ 1 (58)/दि.सं.अ./2018-2019/724

Dated .06/12/23

विधान सभा प्रश्न सं.— 57 के विन्दु (घ) के सम्बन्ध में अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	अनुबन्ध आरंभ होने की तिथि	कुल वेतन BP+DA @42%	अन्य सुविध्याएँ
1	श्रीमती प्रीति उपाध्याय	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2.9.2016	50268	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH
2	श्रीमती पूजा गढाकोटी	कार्यक्रम सहायक	5.9.2016	36210	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH
3	श्री मनोज कुमार	सम्पादक सहायक	2.9.2016	36210	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH
4	श्री ऋषिकेश तिवारी	अवर श्रेण लिपिक	2.9.2016	28258	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH
5	श्री आशीष शुक्ला	अवर श्रेण लिपिक	8.9.2016	28258	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH
6	श्री चन्दन कुमार	चालक	2.9.2016	28258	कार्यक्रम प्रासंगिक प्रभार एवं 4 CL, 1RH

Jas

(सीरभ कुमार मिश्रा) उपसंचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

प्लॉट नं–5, झण्डेवालान, करोल हाम नई दिल्ली–110095

# 20. वाषिक सुची:

मोताइटी पंजीकरण अधि नियम 1860 की धारा 4 के अनुसार सोताइटी प्रत्येक वर्ष अपनी कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची सोताइटी पंजीयंक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

# 21. प्रयो ज्यताः

दिल्ही संधा राज्य क्षेत्र भे पथा। विस्तारित सीसायटी पंजीकरणा अिं निया 1860 की होतरा 21 र्षणाव संगीरान अस्तिमण 1957 ह

के समा उपधन्दा इस सीसाइटी पर नाग होगे। प्रमापि किया अस्तु है कि इस संस्था के नियम एवं उप नियम प्र के भी भागितियम उपनियम नहीं हैं.

िक्यों जाती है कि इस संस्था। के नियम एवं उप नियम माननीय उपराज्येभी महोद्भा द्वारीगिति दिल्ली भूगासने की संस्कृत सलाहकार तमिति की 5.12 86 की बैठक में पास किये और हैं क्षीर मिलनीय उपराज्यपाल महोत्य ने १, ३, ८७ को इनका अनुमोदन किया है 🕕

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली मंत्कृत अकादगी के निया एवं

उपनियमों की यह सही पृति है।

अध्यक्षा

श्कुलानन्द भारतीय कार्यकारी अध्यक्षा

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसंचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार प्लॉट न-5, झण्डेवालान, करोल बाग नई दिल्ली-110005

डॉ० गो० गि० ला० शा० प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) प्लाट नं. 5, झण्डेवालान, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 दूरभाष: 011-23520859

ईमेल :drgglspvpratishthanam@gmail.com



Dr. G.G. L. S. Prachya Vidya Pratishthanam (Govt. Of NCT of Delhi)

Plot No. 5, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi, 110005, Phone: 011-23520859 Email:-drgglspvpratishthanam@gmail.com

#### विधान सभा प्रश्न संख्या 57 घ

विधान सभा प्रश्न संख्या 57 घ :- वर्तमान में इन अकादिमयों में कितने लोग अनुबंध पर कार्य कर रहें हैं और कब से तथा उनको वर्तमान में कितनी राशि वेतन के रूप में प्रदान की जा रही है और अन्य क्या सुविधायें दी जा रही हैं ब्यौरा दें।

उत्तर :- यह प्रश्न प्रतिष्ठान से सम्बन्धित नहीं है। अतः इससे सम्बन्धित सूचना शून्य स्माझी जाये।

हा. गो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् दिल्ली सरकार, दिल्ली

TO SET TO

The first control of the control of

#### A TO THE REAL TO A STREET

# मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) 7.9, आपूर्ति भवन, आराम बाग, पहाडगंज, नई दिल्ली—110055

प्रश्न सं.—57 (घ) मैथिली—भोजपुरी अकादमी, दिल्ली में वर्तमान में अनुबंधन के आधार पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

Polit

# - A Parento Periota-forsat

(图在中) 计,引 建氯甲烷的 华克拉

A team of the first of the state of the stat

The state of the s


The total ships had be specified.

# उर्दू अकादमी दिल्ली

# DETAIL OF CONTRACTUAL STAFF

क्रम सं0	नाम	पद	नियुक्ति वर्ष	एक मुश्त राशि (रूपय)	प्रदान की गई अन्य सुविधाएं
1	श्री एम एच कमाल	उप संपादक	26/10/2023	28000/-	
2	श्री अब्दुल जाफ्र मिर्जा	कार्यालय लिपिक	05/09/2023	28258/-	
3	श्री रहबर असलम एजाज़	कार्यालय लिपिक	05/09/2023	28258/-	इन कर्मचारियों
4	श्री आसिफ्	कार्यालय लिपिक	05/09/2023	28258/	को प्रति माह एक
5	श्रीमती नायाब जहाँ	कार्यालय लिपिक	05/09/2023	28258/	
6	श्रीमती फ्रज़ाना हसन	कार्यालय लिपिक	05/09/2023	28258/	अवकाश और
7	श्री मुनव्वर हुसैन	एम टी एस	05/09/2023	25560/-	कार्यक्रमों में
8	श्रीमती जुबैदा ख़ातून	एम टी एस	05/09/2023	25560/	डयूटी लगने पर
9	सुश्री फ्रहा नाज़	एम टी एस	01/12/2023	25560/	incidental charge भी
					दिया जाता है।

Meder



# समुदाय भवन, पदमनगर, किशनगंज, दिल्ली-110007 गढ़वाली, कुमाउँनी एवं जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार

अनुलग्नक—"घ"

# अतारांकित प्रश्न 57 विधायक श्री जितेन्द्र महाजन

प्रश्न वर्तमान में इन अकादिमियों में कितने लोग अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और कब से तथा उनको वर्तमान में कितनी राशि वेतन के रूप में प्रदान की जा रही हैं और अन्य क्या सुविधायें दी जा रही हैं ब्यौरा दें		घ	प्रश्न क्र.संख्या
कोई नहीं	पर कार्य कर रहे हैं और कब से तथा उनको वर्तमान में कितनी राशि वेतन के रूप में प्रदान की जा रही हैं और अन्य क्या सुविधायें दी जा रही हैं ब्यौरा दें	वर्तमान में इन अकादमियों में कितने लोग अनब्ध	प्रश्न
	<u> </u>	कोर्च प्रशे	

अन्यानगाध्यक्ष कार्यानगाध्यक्ष कुमाउँनी गढ़वाली एवं जानशारी अकादमी (दिल्ली सरकार)



<b>क</b> .स	नाम एवं पद	कार्य अवधी	समेकित मासिक वेतन (रू.में)	टिपण्णी
1.	श्रीमती अर्चना, अनुभाग अधिकारी	13.12.2021	28000/-	उल्लेखित अनुबंध नियुक्तियां 89 दिनों के लिए की जाती हैं तथा आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारीयों का कार्यकाल हर 3 माह उपरांत समीक्षा एवं नियमानुसार बढाया जाता है।
2.	श्रीमती सरिता लालवाणी, आशुलिपिक (सिंधी)	1.12.2021	25300/-	वही
3.	श्रीमती काजल, प्रधान लिपिक	1.12.2021	23100/-	वही
4.	कु. कृति, अवर श्रेणी लिपिक	1.12.2021	23100/-	वही
5.	श्री सुमित, एम.टी.एस	1.12.2021	21300/-	वही

डॉ.रमेश.एस्र.लाल सचिव

डॉ. रमेश एस. लाल सचिव सिंधी अकादमी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली-110006



## हिन्दी अकादमी, दिल्ली समुदाय भवन पदम नगर, दिल्ली–110007

विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं 57 (ग) के उत्तर से संबंधित सूचना

क. सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	की	3	प्रदान की गई सुविधाए
1.	श्री मनोज कुमार सिन्हा	कम्प्यूटर लिपिक	16.08.2000		25,000 ∕ ₹. ·	इन सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश एवं प्रासंगिक व्यय पूर्ते देय है।
2.	श्री अरविन्द कुमार	कम्प्यूटर लिपिक	16.07.2007		25,000 / 板:	–वही–
3.	श्री रामबली ठाकुर	एम.टी.एस.	08.09.2010		23,000 / ক.	<u> </u>
4.	श्री प्रवीण भाटी	अवर श्रेणी लिपिक	02.01.2018		20,895 / 板.	–वही–

<sup>\*</sup>उपरोक्त सभी कर्मचारियों की अनुबंध अवधि प्रति छः माह के बाद ब्रेक के उपरांत अगले छः माह के लिए पुनः विस्तारित की जाती है।

विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं 57 (घ) के उत्तर से संबंधित सूचना ICSIL से Outsource

क.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	कुल वेतन	प्रदान की गई सुविधांए
1.	सुश्री गुंजन	पुस्तकालयाध्यक्ष	16.8.2023	44900 / স্ক.	इन सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश एवं प्रासंगिक व्यय पूर्ति देय है।
2.	श्री मोहम्मद जवाद	कार्यक्रम संयोजक	16.8.2023	35,400 / ₹5.	–वही–
3.	सुश्री प्रियंका	आशुलिपिक	16.8.2023	25,500/雨.	
4.	श्री उमेश कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	16.8.2023	21,215 / ক.	–वही–
5.	श्री नितिन चौधरी	अवर श्रेणी लिपिक	16.8.2023	21,215/杤.	–वही–

#### GEM से Outsource

क.सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	कुल वेतन	प्रदान की गई सुविधांए
1.	श्री ऋषि पाल सिंह	चालक	12.07.2023	1001.57 प्रति दिन	
2.	श्री अमर सिंह	सुरक्षा गार्ड	07.07.2023		कोई नहीं
3.	श्री जयकरण .	सुरक्षा गार्ड	07.07.2023	910.69 प्रति दिन	कोई नहीं
4.	श्री रामस्वरूप	सुरक्षा गार्ड	07.07.2023	910.69 प्रति दिन	कोई नहीं
5.	श्री प्रशान्त कुमार	सुरक्षा गार्ड	07.07.2023	910.69 प्रति दिन	कोई नहीं

अद्योक्षक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली



# (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE (ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT 7TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

No. F. 13 (8)/2012/ACL/ 10/168 - 10475

Dated: 6/2/19

#### NOTIFICATION

F.No.13(8)/2012/ACL/: With reference to the Cabinet Decision no.2622 dated 09.08.2018, in partial modification of this department earlier notification no. F.No. 13 (8) 2012/ACL/2027-2034 dated 06/11/2017 Hon'ble Minister Incharge (Art, Culture & Language) shall be Chairman instead of Hon'ble Chief Minister in respect of Governing Body of Delhi Sanskrit Academy, Govt. of NCT of Delhi

Other contents of the said notification will remain same.

DY. SECRETARY (ACL)

No.F.13(8)/2012/ACLI 10468-10475

Dated: 6/2/19

Copy to:-

- 1. The Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of Delhi.
- 2. The Secretary to Hon, ble Minister of Art, Culture & Language, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 3. The Principal Secretary Finance , GNCTD
- 4. The Secretary (Art, Culture & Language), Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 5. All Secretaries to Hon'ble Ministers, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Secretary, Sanskrit Academy
- 7. All Members of the Governing Body of Delhi Sanskrit academy (through Secretary, Sanskrit Academy).
- 8. Deputy. Secretary (Coordination), GAD, Govt. of N.C.T. of Delhi for publication in the Delhi Gazette Part-IV (Ordinary). Please supply ten copies of the Notification to this department for official use.

J. F. 374; 30, V.

THE OF SHIP IS A SHOP

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार प्लॉट नं-5, झण्डेवालान, करोल गाग नई दिल्ली-110005

DY. SECRETARY(ACL)

(tentieren fi (menan) site feite fe kuiers (fr. A)

सातवा वस, सी-विम, किली समितातव नई हिल्ली-110 002 लाली लाए क्षेत्र ठीकुछी , छिन शताशा कियी हो तिपाला प्रयुक्त

11/2/13 Elist

St 101-89401 / HAMEN / 5105/80/ 51 0171017

लिक्निया एक मायक के दिसंग्राकृष्ट क्रिनियाम में प्रांतिक के शतकत्रात्र किलादी हरि विवासनाप्त प्रद्वितात्र क्रिकास्त्र कित्र कित्र कित्र कित्र कित्र कित्र काश्रीस काश्रीस के 1802-1803 किएसिए (80) है। कि राठातक कांस्डी कि त्यानी 192 हंग्रीए अधिस्वना संशक्त 5535 क्छम जोधनी मडमिरिम के 8105,80,80 कॉमडी -310410 13 08 2012 VAIRE

। गिंड अध्यक्ष (गिंग एवं भारत) दिम गिंग ।

वप सिवेद (कता, संस्कृति एवं नापा) (FE PIPH)

P/15/2 DIFS

7510-81101/107/19105/80/Er ORPOF

। सिर्देश तकायन हुन्छ प्रमर्थ स्प्र कि सम्प्रसिक्ष रूक्छ

जिक उनक कि निकासी यही के लिएए

क्रीाम्रएक कि न्मिन मिनितिए

(4)

। जन्म किन्ने , घटीम नाग्रप के दिनध्यम प्रिनाम . १

(। सिन के एक सान कि मिन कि प्रमुख्य मंत्री (कता, सं० एवं भाषा)

3. प्रधान सीचव, दिन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

4 सचिव (कला,सस्कृति एव भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संरकार।

5 समस्त सचिव, नाननीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी होत्र दिल्ली सरकार !

6. सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी, ।

। (मि मध्याम 

प्राधाक कि गमग्री सड़ फिरीय सत्र की पानप्रधाक मह कि गमक । विमान कि (एए। सा हा उन सिक्त (समन्त्रय) समाप्त मासन निमा, फिल्मि कर प्रकास का अधार का अ

(मान क्य तिकार संस्कृति एव नाया)

ंड म्जोरक मानाक्ष्यह ,ट-F डॉन्टि लिएनी संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरका (आर्प) क्योस्पर (प्रिक्मी प्रामक मग्रीम)

800011-1955의 함

YIS

CERTIFICATE OF RECUSTRATION

under

SOCIETIES RECISTRATION

(XXI of 1860)

2861 Jo <u>ESCLI-5</u> "ON 2861 JO IXX)

s hereby certified that とてきつ

7 दिल्ली प्रमाणग्र, राजा

red stered under the Societies

has this day Red strotion Act, 1860 time to time in 1ta application to the been duly ( Nct XX of 1800) as mended

Termtony of Dalhis

r of Societies.

(सौरम कुमार मिश्रा)

ंउपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकारमी, दिल्ली-संस्कृत प्लॉट नं-5, इण्डेतालान, कमल बार नई दिल्ली-110005

दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली का धापन/पत्र

ा नाम

2. कायालयः

: संस्था का नाम विल्ली संस्कृत अकायमी,

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली होगा ।

: दिल्ली संस्कृत अकादमी का कार्यालय संस्कृत

कहा, प्राहा निद्यालय, पुराना सचिवालय,

दिल्ली होगा जो परिस्थाति के अनुसार

दिल्ली भें कहाँ भी स्थानानारित हो सकता

7

#### उददेशस

ि विल्ली के साहित्यक एवं सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में संस्कृत आहार। और साहित्य का सम्वर्धान हिस्सार परिरद्धाणा करना ।

2, तांस्कृतिक, तसीहत्यंक और शोहिएक महत्य की मूलकृतियों का प्रकाशन तथार ऐसे संस्थित प्रतिकृतिक प्रता जो असे तक प्रकाशित के हो सका क्षेत्र

ा सहत्वपूर्ण एवं सेप्योगी रेक्क कृतिक, साहित्यक एवं मेशानिक पुस्तकों का संस्कृत भाषा भे अनुवाद करना । इसके अन्तर्गत उन कृतियों को भागि सिम्मिणित क्षिया आर्था औ राष्ट्रीय भाग्वात्मक एकता की तृष्टित से सहत्वपूर्ण हो साभा ही उनके प्रकारान की ट्यवस्था भागे करना ।

4) के संस्कृत के साथा भारतीय विभिन्न भाषाओं के कोषा अन्या), संदर्भ कुन्या] का निमणि एवं प्रकाशन करना ।

- 5. तें.रकृत् के प्रकाशित अधावा अप्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य का संकलन प्रवे उसके अप्रकाशित भाग का प्रकाशन । इसमें संस्कृत की प्राचीन पाणहुलिपियां भागे सुस्मिलित होगीं ।
- 6: कि दिल्ली के जनजीवन से सम्बन्धित संस्कृत साहित्य का संकलन, सम्सादन, पुकारात एवं निर्माणा करना ।
- 7. ं संहकृत के प्रवार-प्रसार के लिए दिल्लों के विभानन होत्रों में संहकृत केन्द्रों की स्थापना करना एवं उन केन्द्रों को व्यवस्थित रूप से संवालित करना और उनके लिए पाठ्यपुस्तक तथार करना एवं प्रकाशित करना।
- छें संस्कृत के प्रवार-प्रवार के लिए संस्कृत विद्यालयों को स्थापना करना और उनके लिए आयायकता पड़ने पर पाज्यकृत, पाठ्यपुरतक, परीक्षा इत्यादि

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसंधिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ला प्लॉट नं–5, झण्डेवालान, करोल य (AP)

की, व्यवस्था करना एवं नितक शिष्टा संबंधी पाठ्यक्रम आदि तैयार करना प्रमुखार करना प्रवाह कर स्वाह प्रवाह कर सहायता देना एवं उनके लिए नी ति-निर्देश क तिद्धांत बनाना एवं उनके आधार पर इन विधालयों का समस्त प्रशासिनक कार्य देखाना । स्थिति के अनुसार यह अकादमी शिष्टा निदेशालय से भी एक भूतत इनके लिए वाष्टिक अनुदान एवं सहायता प्राप्त कर सकती है ।

।। अकादभी के भाष्यम से दिल्ली में नवीदय विवालयों की पद्रति पर संस्कृत के आयासीय विदालय स्थानिक करना ।

12. तंहकृत की उत्केट कृतियों पर पुरस्कार देना, उसके प्रकाशन की टिपयस्था। करना । यह पुरस्कार देना, उसके प्रकाशन की टिपयस्था। करना । यह पुरस्कार को दिया करना । यह पुरस्कार की किए जा था। पर भागी दिये जा किए जा थे। ।

13. प्रतिवष्ट एदिला के तंरकृति के उच्च को दि के 'साधित्यकारो' स्थे विद्यानों का सम्मोर्च करना

14. विल्ती के अभाषामृति संस्कृत विद्यानों को आधिक सहायता देना 15. किसेन्कृत की पत्र-पत्रिकांओं को प्रकाशन करना पुस्तकानय कारेलना

और उनका विकास करना । अर

161 विल्ली संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं को अनुवाने वेडा

17. दिल्ली की तंस्कृत तेवी संस्थाओं को उनके संस्कृत सम्बन्धित विभान्त क्रियाकलायों के लिए अनुदान देना ।

- हुं 1.8 ें हैं है है के उच्च को दि के दिवंगत साहित्यकारों की जयन्तियों का आयोजन करना।
  - 19. तैरकृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास के लिए संस्कृत कीव सम्मेलनों तथा संस्कृत नाटकों के अभानय का आयोजन करना एवं साथा ही समय-समय पर साहित्यक गोष्ठियों, विचार गोष्ठियों तथा। सम्मेलनों का आयोजन करना ।
- 20. विल्ली के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/उच्चतम माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत विष्य में कक्षा क्रम ते सर्वाध्यक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना ।

SHS

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्लो सारकार प्लॉट नं–5, इाण्डेवालान, करोल गाम नई दिल्ली–110635

Boi

21. तंस्कृत के शोधा संस्थााओं की स्थापना करना और शोधाधी हात्री को हात्रवृति प्रदान करना । 22. प्रीट मंस्कृत प्राक्षा थियों के लिए पाठशालाओं की स्थापना करना । 23. संस्कृत शिक्षणा, प्रशिक्षणा आदि संस्कृत संबंधी नयी-नयी विधालों का अन्वेष्टाणा एवं उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करना त 24, संत्कृत के ग्रन्था को बारीदना तथा प्रकाशन करना । 25. मंस्कृताने सम्बद्ध भंगीत, चित्रकृता, मास्तुकृता आदि क्रिया-कृतायों में तैतरन-शिल्पी एवं विद्वानों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें अनुदान देता । के में अन्याम की प्रकार कराति है। के उद्देश के अन्याम के कि नियम 26. संघी राज्य होते दिल्ली में गणी प्रनावी संर्था पंजीकरणा अधिनियम े 1860 की ट्रारा ध्रेजाब संशोधानअधितियम 1957 है के आधीन तथा। अधिक अपे दिनत का पंतामिति के सदस्यों, जिनकी कि द्यवस्था कार्य तीपे गये हैं. ्ट्यवताम, अते एवं पद निम्त नाप समिति में पद कुम ११० नाम व व्यवस्य अप्यक्ष र गुलिंगात, दिल्ली भी हर किशान लाल एएर उपराज्यपाल, दिल्ली (४) अ अनीपुर रोड, दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष शी कुलानन्द भारतीयेः कार्यकारी भाष्ट्रिशाक्षा दिल्ली प्रशासन् दिल्ली । भि उ. भी नारायणा चन्द पराभार, १ मुहादेव रोड, नई दिल्ली सदस्य संसदी सदस्य, प्राप्यापक, पी. जी. डी. ए. वी कालेज, श्री जिल्लातपुरी, नई दिल्ली श्री, धार्मदात शास्त्री, ए/१० ग्नाराप्रणा विहार, सदस्य भातपूर्व तेतद सदस्य नई दिल्ली । इं10 शिरम्पारी लाल गोतवामी, 25/30 वैस्ट पटेल नगर अध्यक्षा अखाल भारतीय संस्कृत नई दिल्ली । साहित्य सम्मेलन, भ्रमेन्द्र भावन, नई दिल्ली। डा० तत्यवत शास्त्री, 3/54 रूप नगर, दिल्ली ्राप्तिर श्रेतर श्रेतर कृति श् दिल्ली विश्वविधालय

(सॉरम कुमार मिश्रा)

उपसंचिय (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कृत प्लॉट नं–5, झण्डेवालान, करोल गाग नई दिल्ली–110005

.... जारी... 5

टाइप-6, मकान नं0-1, 7. इंग् मण्डन मिथ्र, िदेशाक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानन, श्री नामबंगपुर भारती केन्द्रीय संस्कृत विधापीठ, भारत तरकार, नई धिल्ली । केम्पर् कटवारिया सराय; नर्द दिल्ली। B. इाठ कमलाकान्तामिश, 169-नेहरू अपाटमंट, उप-पिरद्वा, सलाहकार (संस्कृत) नई दिल्ली । मानवं संतादान विकास मंत्रालय, गास्त्री भाषन, नई दिल्ली । 1646 गुलाबी बाग, दिल्ली १. डा० नारायणा दत्त पालीवाल, उप-निदेशांग श्रमादार (, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । सदस्य बी-165 नहरू विहार, 10, डा० मोहन पन्द, संस्कृत विभाग, रामणस कालेज, दिल्ली मुस्तफालाद, करायल नगर, भारदरा । 62-मिरिजद गोठ, डी०डी०ए० सदस्य ii. आचार्य विवा क्रिकेट फ्लेटस, नई दिल्ली-110048. राज्य गिरक्षान्तिरतिक्रिशाप्त-ं}रांस्कृत् । पि रा ६ ठ० । 24 गीतांजली, नई दिल्ली 12. हा । योगीनन्द शोर्ह्सी, क सामा जिंक कार्यकर्ता एवं पन्ध्यापक भागत सिंह कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली । 7/12 डी०डी०ए० फ्लेटस, 13. श्री गोपाल कुमार भाददासुर्ध, भागवान दास रोड, नई दिल्ली तिचविशिष्टा एवं माध्यति। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली 9-ई0र0सी० फलेटस, राजपुर रोड 14. श्री देवी सिंह नेगी, दिल्ली । शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्राप्तन, दिल्ली । 15. श्रीकृषण रामवालं, ं सी-653 दिल्ली प्रशानसन ् फीटस्, लिमारपुर, दिल्ली । संस्कृत अधिकारी, विषया निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली। 27. हम अपाहिस्तादारी संस्थान के जापन पत्र का अनुसरणा करतेहुए संधा राज्य दीत्र दिल्ली में यथा। प्रभावी संस्था। पंजीकरणा अधि नियम 1860 र्यंजाब संगी धित अधि नियम 1957 के आधाीन दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली प्रशासन, संस्कृत कक्षा,

> (सौरभ कुमार मिश्रा) उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कार प्लॉट नं–5, झण्डेवालान, करोल बाग नई दिल्ली–110005

शाक्षा निदेशालय, पुराना तिवयालय, दिल्ली के नाम है इस संस्था की स्थापना करने तथा। इसको पंजीकृत कराने के इच्छुक है । हस्ताक्षार कम् सं० नाम व ट्यवसाय राजनिवास, दिल थी हरकिशान लाल कप्र, उपराज्यपान, दिल्ली । १ अलीपुर रोड, दिल्ली 2. शी कुलानन्द्र मारतीय, कार्यकारी वार्बीद्रशिषाद्या | दिल्ती प्रशासन, दिल्ली । १ महादेव हो है, नई दिल्ली लाड्रिक श्री नारायणा चन्द्र पराशार, संसद सदस्य, शाच्यापक, प्रिजी०डी०ए०वी० कालेज निवासपुरी, नई किलिडि ए/१०एनार पिणा शी धार्मप्रि नई दिल्ली भारतित् असि 25/30 वस्ट • इं10 निर पिरी लॉन अध्यक्षा अखिलि सामक संस्कृत सा हित्य सम्मेलन भूगेन्द्र भावन्, तई विल्ली 6. डा० सत्यवत राह प्रौफेतर (संस्कृत) रामार क्षा ४५० हिं. दिल्ली विश्वविद्यालय । DELIN ठाइप-6, मकान नंo-1, 7. इा० मण्डन मिथ, निदेगाक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, थी लालबहादुर शास्त्री भारत सरकार, नई दिल्ली । केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ केम्पर कटवारिया सराय, नई दिल्ली ा 69 नेहरू अपार्टमेंट, नई तिल्ली 8. STO कमलाकान्त सिम्ध, उप-िर्दा सलाहकार द्वांस्कृत } मानव तैताचान विकास मैत्रालय, शास्त्री भावन, नई दिल्ली । डा० नारायणा धत्त पालीवाल, 1646 गुलाबी बाग, दिल्ली (उप-निदेशक शाका। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । (सौरभ कुमार मिश्रा) ..... जारी.... 6 उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार. प्लॉट न-5, झण्डेवालान, कलान क नई दिल्ली-1'10005

10. डा० गोहन, पन्द, षी-165 नेहरू पिटार, भिर्कृत विभागा, रामजत कालेज, गुरतकाबाद, करावल नगर, भारतस्य । आचार्य विवा निधा पाण्डेय, 62 महिजद मोठ, डी ०डी ०ए० फोटरा, नर्ड दिल्ही-110048 राज्य किराधाल पुरस्कार प्राप्त श्संस्कृत शार्यापक । 12. हा० पोगानन्द गास्त्री, ं ली-24 गीतांजली, नई तिल्ली 1100 नि रामा जिक कार्यकर्ता एवं प्राध्यापक भागत सिंह कात्रेज, कालकाणी, नर्ह दिल्ली। 7/12 ही ०दी ०ए० फ्लेट्स, 13. थी गोपाल कुमार भादताचार्य, भागवान दास रोद, नई दिल्ही तिचन् के जिल्ला में मार्थ भारता है, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । **ि** १९६०ए०रि१० फ्लेटरा, राजपुर 14, श्री देवी शिंह नेगी गिक्षा निदेशक, दिल्ली-१भागत, दिल्ली मिर्फें 3 दिल्ली प्रतासन फरेट्स, अभिभग्र 15, श्री श्रीकृष्णाः तेमयान, भुंस्कृत अधिकारी. ब्रिवारपुर, दिल्ली । प्रमाणित किया जाताहै जिन्हत संस्था के उक्त ज्ञापन पत्र के अतिरिक्त कोई नापन पत्र नहीं है। मंधा राज्य दोत्र तिल्लियोः पर्वापुर्भावी समिति पंजीकरणा अधिनियम, 1860 की हाररा 21 रिजाब तें नी ान औदि नियम 1957 के समस्त उप-बन्दा हत तरगा पर लाग होगे मुमा ित किया जाता है कि इस संस्था का यह आपन पत्र माननीय उप-राज्यपाल महोदय दारा गठित दिल्ली प्रशासन के संस्थृत सलाहकार समिति की 5,11.86 की बैठक में पात किया गया और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने 9, 3, 87 को इस की अनुमोदन किया । RIN HOIM शाक्रणा समवान । श्कुलानन्द भारतीय्री शहरकिशान लाल कपूर है कार्यकारी अध्यक्ष (सौरभ कुमार मिश्रा) उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार प्लॉट नं-5, झण्डेवालान, करोल बाग

नई दिल्ली-110005

। ममनी-मेर छेप ममनी के निराग्य निनित्री , मित्राकार मृत्युना निन्ध

किन्न किनाकार क्रिक्स किन्नि मान पर का गाउना

ा गर्मड , महागर ए

रिप्र विष क्यार मागीनीन्यती क्रिपृष् में नियानी-यह हेष्र मण-ी मेड रिड में ता श्रीमी में पेर का का का

हिंदे प्रचार त्यंक तिल्ही प्राप्तः निष्ट हिं "म्प्रनीत्नीहः" -: इ गाणीतीनमा पापा-ताह तक

081, मिमनी उर्गाः रण्डकिए तीसीत काष्ट्रशाउप म

ा व १६ क्षिप्रमी जीए लिज्यित हाएं। के एटशा

निल्मी, मिनाक्ष तकुरा निल्मी प्राप्त में हैं ' किप्रिमि'

े के मिसिनी मह ए। ए। री ए हैं , ती भी म स्रियन । ई प्रभाष के फिहासि प्रापानी हैं हैं कि

Sala Pistelaly alvi fie h hivi the lawle THE REST OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

हें ही मा । अप्रा अप्रशृह के किया कि का पी । एपी में । रिय में

। व म क्षाप्त क किन्ति किन्नका क्रिक्टीलकी प्रापट्टी ह र कनी ह

रिल्लार्च रिकारी, प्रकाष्ट्रपिक हिर्गुर्भ्यकारा दर्भी गाउँ सी 

त्रीक्तानाउर पिन जिंद में गिल्झी राष्ट्रांट के तीर की प्रीप

ितिमारास्रा इध्यह तिल्ही ,नामध्यात्रम्ह १११ तार्ग इ. एक ने अन् रिज्ञ नाक्याक एक सन्नः रिजि निर्मार एउन्न ता शीमीस्मित्ती में क्रीमीम कि मिटाका छिन्में गिण्यी।

। र अध्यक्ष रिरांक केरक शाजा शिक्षेत्रक रिराक्षेत्रक हिंदी

·(ाहरा) क्वीम्मर (118मा प्रामक म्यांस

२०००११-मिल्सी हान प्लीट न-5, झण्डेवालान, करोल बाग जिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली रायकार

। इ TħФĦ Tā

ाउई उपराज्यपान, दिल्ली कम रें कम 10 श्री आधिक ते अधिक 20 सदस्यों की नामित करेंगे। इसों अपनी दिल्ली प्रशासन अधाया दिल्ली की किसी स्थानीय निकाय के कर्मवारी तथा गर सरकारी जीकि अकादगी के कार्यों एवं इसके उद्देश्यों की अभिष्युद्ध के लिए उपयोगी हों, शामिल होगें।

१५१ उपर्युक्त खाण्ड में यथा उल्लिखात शतों के आघार पर उपराज्यपाल, दिल्ली एक सचिव नियुक्त करेगें। वह दिल्ली तंरकृत अकादमों का सदस्य सचिव पदेन होगां। संस्कृत अकादमी का सचिव तंरकृत भाष्या का समर्पित विद्यान एवं तंरकृत संस्थाओं के कार्य तथा प्रशासन कृष्याम एवं तंरकृत संस्थाओं के कार्य तथा प्रशासन कृष्याम की मिन्ने

5. अकादगी की सह

पदेतापीन सदस्यों को नियम महित्र के अधारित नियुक्त किया जाता है उनकी अकावमी सदस्यता उनके पद से स्टेल हो समाप्त हो जामेगी

\$2 षदेन सदस्यों हैनियम ५ हेउ है में उल्लिखित है से भिन्न हैं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि। से दो वर्षा होगा किन्तु पेदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तब तक अपने पदं पर बने रहेगें जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

३३१ यदि कोई तदस्य त्याग-पत्र देता है, विहाप्त हो जाता है, दियालिया धोधित हो जाता है अधवा उसके नेतिक अहामतायुक्त सहित किसी कीजदारी के अपराधा में दोधी ठहरासा जाता है अधवा बीगर किसी वैधा कारणा के लगातार भी बठकों में अनुपिस्धाति रहने के कारणा अधावा उपराज्यपाल दारा सुविधारित किसी अन्य कारणा से अकादमी की सदस्यता से उनके द्वारा हटा

• • • जारो • • • 3

(An)

(सौरभ कुंमार मिश्रा) उपसंचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कार' प्लॉट नं–5, झण्डेवालान, करोल बाग नई दिल्ली–110005

200011-1100051: 화나 लॉह न-ड, झण्डेवालान, करील बाग रिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कार (आर्प) म्हीस्पर

(। स्थिम आमक् मजीम)

घरोत मी जा के राष्ट्रीती लाग मी प्री गण गाउंति १५१ , रिप्राट माउन उजनूष्ट रिरामिक कप्रामास प्रती क ह्यान्छ दि एक क्रााश्चर कि प्रधाव के क्षित्रावाट कि ह्या है दें।

त्रम् अफिस् एक् काक के स्वीतीए ह्या के सिजाकर स्रीयः क ह्रो एडोराम हुए राण अधिम रिक् की र अधवार हागीस [ऽ]

्रा पार्ष<sub>वे</sub> रिप्रकार्योष्ट रिप्रास्क्रेषक पक

। दिरक प्राक दि एन व Tapac दि ती प्रश्नित

्कि <u>१५४२१: सहस्रक्षकत्रेक्ष १</u>११३११११३२ वाप रिशक्षाक ा दिन्छ, ही मा ग-नऽरा अप्रवाह व गीलझी मिलाकाट

मनोगाव के तिमावह कि तिथार कि त्रवीपूनी प्रधानीयों, कि ाराकानीस तमीपनी व कनीनद कर राज स्पापन है। है

तिकृति, तिलाची, तापप्रचार्यह के हाउ प्रचार 1यह, लिखा

ाठा अर स्राय पंथी कांग्रिक्स गिर्म तमी तमी तमी व परात्री तिकी इत्रीत रक प्राव ात्माव पिछ एक विकास के स्ट्रिंग डीह है से स्पर् काह गाजा लिडि कियो किए पिय निक्र में प्राम्तिकार हुई नि

ी गण्डें , मिरिन पुरमा ।

कत रजीयह कि विद्वार कि प्रिया का प्रिया कि प्रियं कि प्रियं कि प्रियं कि कियात दिन के 1513 कि की का purviyet किमी में के कि कि 1700 र मार कि मिनाका हिं। मी में प्रमार हिंग है है । गणड गणान्छ

ार्र । थीरी कि ईंग्रक आक्रिक 1515 Tayan हम लामन केष नापरी : के क का जी किम कि न इधजार के मिन्नाकार हम-ागम में रात्रमंत्रम रिक् मिद्राक्ष घर प्रस्त है कि न्नारी हि एउठा हमें हागीलीट हि हिंडीय सपनी हिंगी ा नार्न भारतार

मोणती एक नामध्यात्रमृष्ट मि उनेमा सह । ई तताल तम्ही

-11-

तीकुरिक कि Тइएअर 11अर गार्धावण म्डेस्ट्रीस किएट इन । गार्धक गाउँकाय कि स्मय केंद्र इनके दुर्द्ध ह्ना-गिनी के स्तारिए किन्दी ए शो कि सिटीकार

र्षातृक रो कम्माति थि। कार्मि प्रनार पाउन विद्यास्त्री । प्राप्त अर्थ । प्राप्त कर्मित्रीय विद्या विद्यास्त्रीत विद्यास्त्रीत । प्राप्त विद्या विद्यास्त्रीत विद्यास विद्यास

कठाई कि - मिना कर . • ६

] तिर्मित्र उनक्ष पत्र मक में मक में देविक कठक कि मिटाकर है। मक में मक कि पिउन्हें प्रती के निलय केठक कि मिटाकर । ताप्रीय गणकी तिर्मित्र लेंडम नदी रे। । पिराह्म केठक द्वार के निरंक रिमारम में रिश्वर हिनीस हैऽहै

कठळ १४१ राष्ट्रक गराकाजीस प्रसिद्ध रिवस्का प्राथनी कि प्रोथनी कि । पाष्ट्राच गासम प्रोथनी एक भिष्टाकार रिक प्रोथनी कि

₹ .... INTE.....

Pi

The part of the state of the

(ासमी प्रामक्त मर्गाम) (आश्रप) घंडीसम्घट भक्षाम क्ष्मिडी सिजकस मुक्मिम क्षिम् गाम क्रिक नानाघडणस ,ट-न जॉक्न २०००११-किन्दी ड्रेन

§5 हिन्देव बैठक की कार्यधाही का अभिनेखा रखार 86 ह वर्ष की पहली बैठक जी सामान्यसंपा 31 मार्च े से पहले आयोजित होगी, वाधिक सामान्य बैठक होगी । हकह पह मांग अकादमी के कम से कम 7 उपहिधात सदस्यों दारा की गयी हो । ्रष्टा है उपत्तरमांग तम्बन्धित तदस्यों के हस्ताक्षार के भारा सचिव के तमक्षा निष्टात रूप में पस्तुत की

क्ष निष्ट कित कारणा से बैठक धुलाने की आवश्यकता पड़ी अभीप्रविष्यास का उल्लेखा विशोधा लप से किया जया हो धेठ्य होने त्वानी कार्यपादीः

। है अकरदमी को सामान्य पाषिक बेठक में सचिव तिम्नलिधित मदे रहोते। ठ े२० १क श अकादमी का व्यक्तिक क्वज़ट ज़ित्में अगृते वित्त वर्ष के निष्ट सम्भावित श्रीम औरिं ट्यय वे अनुमान का उल्लेखा हो तथा यान का कि पूरे मूरा ह हुंडा है अकादमी के कार्ययोलच=से तम्बन्धित पिछले वर्षा की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा। भाषियय के कार्यक्रम की लप रेखा।

१ग क्षेत्र अकादमी की सम्पत्ति परिसम्पत्ति तथा देवता प्त तंबंधित तुलन-पश्च और लेखा परोक्षाको दारा विध्यासत प्रभाणात १अकादमी का । पिछले वित्त वर्षा का चित्तीय विवरणा हिंहा कोई अन्य विषाय जिसे अध्यक्षा की अनुगति से ्विधिवत प्रस्तुत किया जार ।

\$2 हे तुलन-पत्र को प्रतियां, वित्तीय विधरणा तथा।

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसंघिव (प्रशा०), दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली रारका प्लॉट नं-5, झण्डेवालान, करोल गांग

क गोरकांगार काशीस्तीर भें १११ मधनी काष्ट्रपट ाउग्र घटीस के भिकांगार डिप्डी कि मनाट्रीक को थीगव प्रनामास कि मनागद्द िनकी लायप्रजाउपर । भिष्रार विविधित उत्तीय के म्की २१ के कठक निमिना रिगक्याक दे।

-: iffs pash from the if inhalm had

1 inaccontract of the infector of the inf

13एउ६ रिज्ञाकोक कि मिहेरक्ह जोह्न सिम्ने कि र े डिल्ला कि मिहेरक्ह जोहन सिम्से कि जो

ा कुर्णायां-कृषीप्त व सिर्वाका कार्

ा गिर्मेड कि में गुण्डाक पुत्रके किकी अफ़ि घरअप द्विक टीम है।।थे कि डी प्रोडड काउनीयक्त में किठवें स्ती अकारण इन्हें डे स्पिड रिश्मेट क्षियोद्दी कि विश्वेत कायप्रकारम्ब विश्वेत के स्पिड रिश्मेट क्षियोद्दी कि क्षेत्रका कि कि कि कि क्षेत्रका कि कि क्षेत्रका कि कि क्षेत्रका कि कि

-: गेमिनी र कि ती भी में रिक्यों के है।

7...f5TF....

(सिस्मी प्रामक् मंप्रींफ्र) (भारप) घंडीस्प्रक प्राक्तप्र मिन्नडी ,मिशकार तकुरांग्र मिन्नडी गांक र्हारक्य ,नारुग्रहणाञ्च ,हे—ेन डॉक्न 200011-मिन्नडी ड्रेन्ट

हुउह उपर्युक्त उपनियमहाह और हु2 हारा प्रदर्त गाक्तियों की तामान्यता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रमाणा के समिति के पास निम्नितिषात गावितयां होगीं। 🎶 हैर्रास्कृत भे पुस्तकों तथा। अन्य प्रकार के साहित्य के प्रस्तुतीकरणा तथा। प्रकाशान से संबंधित अपनी नीति निधारित करना ।

हुआ अपना कार्य और प्रशासन चलाने के लिए नियम बनाना, अपनानाः तथाः परिवर्तन करनाः।

श्रम् अकादमी के कर्भवारियों को निमुक्त, तथामी, कार्यभार मुक्त तथा पदच्युत करना एवं पदी को आवश्यकतानुसार मुजन करना । हिंग है अकादमी की स्वीकृति से कर्मवारियों की तेवा नातों

को दिप्पारित करना धर्म अकादमी के लिए निधा पृष्टित करना पुते, रहाना तथा। सार तर मि इसकी शाम श्यक्तिम् का अवन्या देखाना हि

कि अकारमी में पूर्व अनुमति से तेस्ता आस्पें। की स्वीकृति के अध्यान कोई तस्पत्ति छारीदनी , उत्ते अणा पर तेना अन्यथा। सम्पत्ति अधागृहीत करना अधावा विचनाः।

808 अकादमी के किसी कार्य को सामान्य रूप से पलाने हेतू अधावा तदधा प्रयोजन के लिए एक अधावा उपसमितियों की नियुक्ति करना

श्व
श्व
शिक्ती सदस्य अधावा सदस्यों को शितीत से अधाक तहाँ
श किसी कार्य में उसका परामां लेन के लिए सहयो जित करना ।

### ं। 4. कार्यः समिति की बैठकें:

हैं। हे तमिति को अठक महीने में कम ते कम एक बार अवस्य आयो जित हो गी तथा। प्रत्येक रेगी जैठक के निर तीन दिन पहले तुचित किया जारगा । परन्तु आपात् चेठक 24 थेटि की सवना पर बुलायो जा सकतो है

§2 है तिचिष तिमिति के संयोजक होगें तथा। अध्यक्ष से परामा के बाद धठक बुनापेगे।

(सौरभ कुमार मिश्रा) उपसचिव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली राज्य प्लॉट नं-5, झण्डेवालान, करोल गा।

। नाम्प्राध् नाग्र नगरिन स्तिः एक डिनाय्नेतक कि कठा कर्णन्य नित्र नत्राप्त ग्राप्त हैं।

तीमीस प्रोपती नमार नमती नडाइ क्षेत्रक के रिवरम नइलीर हुन्हें

। नामित मनाम भीवरी नक

किमीसा जीस एक कठड सह कि उस । नाम्ब्राट नामस नित्र मित्रीक उर ही। अप कि रिक्स से वाइकी कर 15 एक कारकापण हैट

किमीन दीए न्यापट है की उनी महार किमर नाज न प्रजा है वे भिष्मित्रीसर्वता । इ पिष्ट कि उक तारी उन में हा। उस क ्मर्राक रिए नार्मा निम्न हो। श्री मिर मर्गक देशि प्राप्ती के मंत्रक के निक

क्रिया रिरेक राजा अपजाह कि किठाई नियम कि कीप्रीम मेर रित रि

ि एउटा प्रमुद्धि में मिलाए मिए 1712 किराय है। िरिक्त क्षेत्र की र उनी महार कि पिनिक की पर है कि कि

ं पृष्ट मूंकी, तकपूनी राशांत्र, सिचाकार कि रायते के मिनाका १८० तिर्धि र्डिन निक्ष माजिष्टिक र्रायम राजन राजन क्षेत्रक रिटाक १११

ि गिष्पार कि छोट को बीगड रंगाइ कि अरंप राग्त

ופיבים ובובתגד

क्रम्मी 130311वर्षः मिन्नामः कि क्रियेष्ट निम्मिश्वर माह त्रीपम क रिम्प्रामी राउत रिम्प्री प्रिकामी राष्ट्रावस व सिमावस 👭

। ई रिक्त उक

र्क रिप्राअगत्र इस्प्रह एकर विवीस प्रति । अध्यायिक गार्थन-कर्ष १८%

I THEY FITTH

:13-646 4-1418.71

6.... 15110 ... । राष्ट्राह रामनी जिस तजीक राम अध्य प्रताह रामा अ महाक , नमा नाम भ मन नमाम भए नम नियम के मनम हाम के नमाम हैए फिकी कि एरा द फिकी के घार नेघा अर क्रिया कि मिलास । मिपास कि देव प्रति के अपूर्त कि रिवारीट हा शील्ली ह में नगा के गाउनके गार देव में क्रीमिस कि मिनाकर 118

200011-किंग्री हेर लिंह निर्मेण स्प्राध्येवास , हे-म डॉल विल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली राएका ( ( कार्प) प्रमीरमण (११६मी प्रामकु मर्पाप्त)

ण्यं उस प्रमेचन के मिष्ट वार्षकारी रामिति धाररा निर्मिता सदस्य अकादनी 82 हैं अंकरदमी में संक्रिनात समारी संदिवायें और अन्य दहतायेन स्वध्ट प्या है। अक्षाच्या के नाम है। निष्ये जायेशे तराम हत्तीमृति के क्षाचेशनिय की और में उसे निष्पादित करेंगे।

सामिषिक निकामी के कर्यवारी हैं थे अपने मरकारी मारियामा निकामो ते मेंबीटात नियमों के शुनसार मात्रा और देनिक भात्ता पाने के इकदार समिति के सदस्य जो दिल्ली प्रशासन अधावा केन्द्रभय सरकार अधावा इसिं। अकादमी के अत्य सदस्य भारत सरकार के प्रभाम अण्यति कर्मिया १३४ शकादारी दारा नियुक्त कियेगो. हमके अधादा किसी कार्यकारी के निष् प्रदयः गत्ताः होगै ।

ें 🎨 - 🏴 है इन नियमों की द्याख्या व्ययतिधान मामनों के संबंधा में कोई ापवाद उठा ढाड़ा होने पर उत्ते अपराज्यपान महोदय के पास भोजा अस्मा और उन्न पर उनका निर्णाय अन्तिम होना ीववाद उठा छ ज्ञास्ता शरि

17. श्रेंग किया जाताः

मीतायनी पंजीकरणा अधि मिरित अप्रबंधारे के अधारीन स्रांग किया की ट्रारर क्यांग्राम के ग्रामिष्ट निर्ट ्री आवर्ष्य होने

18. निष्यों में संगोदानः

की सामान्य बैठक में भोन्नमिटी धुँजीकरणा विद्यानित्यय 1860 की हाररा 12 स्व 121कि के भुनतार तुर्धामिरत उपबंटारे के अटानि नियमों को संगोरिंगत, परिवर्गित अधावा परिवर्तित किया जा त संग्रोधान के प्राणेजन के

19. मुक्दमें

दिल्ली मॅंग्युत अकादमी भीताइटी प्जीकरण अर्घात्म्या १८६० की घरारा ६ के अनुसार दिल्ली मेंग्युत अकादमी के नाम से अग्ने सचिव द्रारा किसी पर मुकदमा पता सकती है अधावा इस नाम से उत्पर मुकदमा मृताया जा सकता है ।

.... urth....

ं उपसीचेव (प्रशा०) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली साकान प्लीट ने–5. अण्डेवालान, करोल माग

पंजावी अनापमी

### PUNJABI ACADEMY: DELHI

### MEMORANDUM OF ASSOCIATION

- 1. The name of the Society shall be Punjabi Academy of Delhi.
- The Registered office of the Society shall be at 5, Sham Nath Marg, Delhi in the Union Territory of Delhi.

### 3. FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF THE SOCIETY

- To preserve and promote the language and literature of Punjabi as an integral part of the linguistic culture of Delhi.
- To encourage and publish original works of literary and academic merit and also books for children in Punjabi.
- iii) To arrange translation in Punjabi of literary and scientific and other works not hither to translated in Punjabi language.
- iv) To prepare and publish reference works in Punjabi.
- v) To publish properly edited texts of Punjabi literature.
- vi) To publish the so far unpublished works of merit in Punjabi.
- vii) To help deserving authors of Punjabi in publishing their work.
- viii) To give awards to authors of Punjabi works published during previous one year.
- ix) To give monthly financial assistance to old and needy authors of Punjabi.
- x) To provide facilities, including financial assistance, for advanced study to Punjabi scholars for specified period.
- xi) To invite eminent scholars and other persons of eminence to deliver lectures.
- xii) To organise seminars, symposia, conferences, and other gatherings of an academic nature, interalia for discussing problems connected with Punjabi in the perspective of world literary tendencies as also with respect to the implementation of Govt. Orders regarding facilities for the teaching and use of Punjabi and in persuance of the aforesaid object to give financial assistance to various literary and cultural organizations who organize similar functions.
- xiii) To bring out journals, periodicals, magazines of similar publications in Punjabi of high standard.
- xiv) To arrange for the sale of the matters published under these rules on no profit no loss basis.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

(13)

- xv) To acquire movable and immoveble properties for the academy provided that in case of acquisition of immovable properties prior approval of Delhi Administration shall be necessary.
- xvi) To bring to the notice of the Delhi Administration the demand of the Punjabi speaking people regarding the teaching and use of the Punjabi including difficulties in the implementation of Govt. Orders.
- xvii) All income of the Society shall be utilised towards the promotion of aims and objective of the Society.

### **EXECUTIVE COMMITTEE**

The names, addresses, occupations and designations of the present members of the Executive Body to whom the management and affairs of the Society are entrusted as required under Section 2 of the Societies Registration Act of 1860 (Punjab Amendment Act, 1967) as extended to the Union Territory of Delhi are as follows:-

S.No.	NAME AND ADDRESS	OCCUPATION	DESIGNATION
1.	Sh. S. L. Khurana	Administrator, Delhi	President
	Lt. Governor, Delhi		
2.	Sh. Charanjit Singh, 9-B, Friends Colony,	Member of Parliament	Member
	New Delhi.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	eren a sum tall
3.	Smt. Prabhjot Kaur	Writer	Member
	D-203, Defence Colony,		
	New Delhi		
4.	Smt. Amrita Pritam,	Writer	Member
	K-25, Hauz Khas, New Delhi	Section of Figure	Tel Secure
5.	Dr. Harbhajan Singh	Service	Member
	Head of the Punjabi Deptt.,		92
	University of Delhi		my and
		JASF Dep F	PINDER SINGH SODHI outy Secretary (Accounts) outy Secretary (Delhi ounjabi Academy, Delhi-110 ounjabi Centre, Sadar Thana R

Deputy Secretary, Delhi Punjabi Academy, Delhi Punjabi Academy, Delhi Rota Community Centre, Sadar Thana Road Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

6.	Justice Pritam Singh Safeer A-28, Niti Bagh,	Retired	Member
	New Delhi.		
7.	Justice M. S. Joshi, 145, Madhuvan, Delhi	Retired	Member
8.	Sh. Devender Satyarthi, 25-C/46, Rohtak Road,	Writer	Member
	New Delhi.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.	Sh. Gurdeep Singh Randhawa, Prof., Khalsa College,	Service	Member
	University of Delhi	•	e <sup>t</sup> amen.
10.	Sh. Anil Baijal,	Service	Member
	Director of Education		
	Delhi Admn., Delhi		
	VC - 100.		
11.	Sh. Manjit Singh	Service	Member
	Deputy Secretary (Finance)	Troyers	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Delhi Admn., Delhi.		The state of the s

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

पंजाबी अजादमी

### **PUNJABI ACADEMY DELHI**

### **RULES AND REGULATIONS**

### 1. NAME

The Name of the Society Shall be "PUNJABI ACADEMY OF DELHI"

### 2. INTERPRETATION

In these Rules and Regulations unless the context otherwise requires the following words and terms shall bear the meaning given here under:-

"ACT" means the Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act of 1957) as extended to the Union Territory of Delhi.

"Society" means Punjabi Academy of Delhi.

"Committee (s)" means the Committee(s) as may be appointed by the Executive Committee for the particular purpose of the Society.

"Member" means member of the Society.

"Executive Committee" means Executive Committee of the Society constituted under these Rules.

"President/Chairman" means the President/Chairman of the Society as defined in clause here under.

"Secretary" means the Secretary of the Society.

### 3. MEMBERSHIP

The Academy shall comprise of the following :-

- Chief Minister of the Govt. of National Capital Territory of Delhi shall be the Chairman of the Punjabi Academy.<sup>3</sup>
- ii) Atleast 10 and not more than 25 persons shall be nominated by the Chief Minister of Delhi. They may include the officers of the Govt. of India, Govt. of NCT of Delhi or a local body in Delhi or other persons in their personal or official capacity or other distinguished literary personalities who may be helpful in achieving the objectives of the Academy.<sup>4</sup>
- iii) The Executive Director shall be redesignated as Secretary and he shall be appointed by the Govt. of Delhi in accordance with the qualifications and on the terms and conditions as prescribed at Annexure 'D'.5

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

(16)

पंत्रावी अमार्भी

### 4. TERMS AND CONDITIONS OF THE MEMBERSHIP OF THE ACADEMY

The Ex-officio members shall cease te be the members of the Academy as soon as they cease to hold the office by virtue of which they were appointed members under Rules 3
(ii).

ii) The terms of Office of every member other than ex-officio members (referred to in rule 3 (ii) shall be two years from the date of his appointment "provided, however, that the members, other than the ex-officio members, shall continue till their respective successors are appointed."

iii) A member shall cease to be a member of the Academy if he resigns, becomes of unsound mind, is adjudged insolvent or is convicted of criminal offence involving moral turpitude or if he is removed by Chief Minister<sup>6</sup> of Delhi from the membership of the Academy by his continued absence in two consecutive meetings without any valid reason or for any other reasons considered sufficient by him. The decision of the Chief Minister<sup>7</sup> of Delhi in this regard shall be final.

iv) Whenever a member other than an ex-officio member referred to in rule 3(ii) desires to resign from the membership of the Academy, he shall send the letter of resignation addressed to the President of the Academy and the resignation shall take effect on being accepted by the President.

v) Any Vacancy in the membership of the Academy other than of the ex-officio member, shall be filled up by the Chief Minister<sup>8</sup> of Delhi and the person so appointed shall hold office for the unexpired period of the term of the Academy.

vi) The Academy shall function notwithstanding of any vacancy in its body and notwithstanding any defect in the nomination of any of its members and notwithstanding any nomination or any defect in the nomination or appointment of any of the members.

### 5. PRESIDENT:

The Chief Minister<sup>9</sup> of Union Territory of Delhi will be the President/Chairman of the Punjabi Academy of Delhi

### 6. VICE PRESIDENT:

i) The Academy mentioned above shall elect a Vice-President from amongst its members other than ex-officio members and the Secretary<sup>10</sup> of the Academy.

the Meetings of the Academy and shall exercise all the powers of the President in the absence of the President.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055



पंजाबी अजाएमी

### 7. SECRETARY:

- i) The Secretary<sup>11</sup> shall be appointed by the Govt. of NCT, Delhi for three years in the first instance extendable for one or two years, subsequently as may be deemed fit by the Govt. of Delhi not exceeding five years. The qualifications and terms of appointment would be as mentioned in Annexure 'D'.
- ii) Secretary<sup>12</sup> shall supervise day to day working of the Academy under the over-all supervision and guidance of the President.
- iii) Secretary<sup>13</sup> shall be provided assistance of such paid-staff as may be necessary for the efficient functioning of the Academy.

### 8. OTHER FUNCTIONS OF THE SECRETARY:14

- Subject to the directions that may be given by the Committee, the Secretary<sup>15</sup> shall be the Principal Executive Officer responsible for the proper administration of the Academy under the direction and guidance of the Chairman.
- ii) The Secretary<sup>16</sup> shall be responsible for the preparation of the annual report, accounts and the budget of the Academy in such form as may be prescribed by the Government.
- iii) The Secretary<sup>17</sup> shall prescribe the duties of the members of the staff and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary.
- iv) The Secretary<sup>18</sup> shall select the authors and translators regarding their works, check the manuscripts, get them edited and after obtaining the approval of the Chairman arrange for their printing. He shall also maintain liaison with the various deptts. of the Govt. of Delhi<sup>19</sup> and other bodies on behalf of the Academy.

### 9. MEETING OF THE ACADEMY:

- i) The Academy shall meet at least twice a year. Fifteen days notice to the members shall be necessary for convening a meeting the Academy.
- ii) The meeting shall be called by the Secretary<sup>20</sup> after consulting the President.
- iii) Eight members shall constitute a quorum for the meeting of the Academy provided that no quorum shall be required for meeting held to transact a business notified for the meeting which was adjourned for want of quorum.
- iv) A decision by the majority of the members present at a meeting shall be deemed to be the decision of the Academy.
- v) A record of the proceeding of every meeting shall be maintained.
- vi) The first meeting of the year, which will be generally held before March 31st shall be the Annual General Meeting.

grow of

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Deputy Secretary, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055



पंजाबी अजाएमी

- vii) A special meeting of the Academy can be requisitioned if the following conditions are fulfilled:
  - a) The requisition is made by not less than seven sitting members of the Academy.
  - b) The requisition is made in writing to the Secretary<sup>21</sup> under the signatures of the members concerned.
  - c) The subject matter which necessitated the requisitioned meeting is specifically stated.

### 10. BUSINESS TO BE TRANSACTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING:

- i) At the Annual General Meeting of the Academy, the Secretary<sup>22</sup> shall place;
  - a) The annual Budget of the Academy indicating estimates of the probable income and expenditure for the next financial year and supplementary demands for the current year.
  - b) The Administrative Report on the working of the Academy for the preceding year and out-line of future programme of work.
  - c) A balance sheet, containing a summary of the property assets and liabilities of the financial year duly certified by the Auditors.
  - d) Any other matter that may be duly brought forward with the approval of the President
- ii) Copies of the balance sheet, the financial statement and the report on the working of the Academy referred to in rulc (i) above shall be sent by the Secretary<sup>23</sup> of the Academy to the Chief Minister<sup>24</sup>, Delhi within fifteen days of the Annual General Meeting.

### 11. EXECUTIVE COMMITTEE:

a)	1.	President of the Academy	Chairman.
	2.	Vice President of Academy	Vice Chairman.
	3.	Five (5) members selected by the	e Chairman from amongst those included in clause
		3(ii) excluding the member elect	ed as Vice President of the Academy under the
		Rules.	

This committee will consist of the following:

4. Secretary<sup>25</sup> of the Academy

b) The Secretary<sup>26</sup> of the Academy shall be the Convener of the Executive Committee.

c) The term of office of the chairman and the members of the Executive Committee shall be 2 years co-terminus with the term of the Academy.

Convener.

JASPINDER SINGH SODHI Deputy Secretary (Accounts) Punjabi Academy, Delhi DDA Community Centre, Sadar Thana Road Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

पंजाबी अजाएभी

- d) Sub-Rules(i) and (iii) to (iv) of the Rule 4 shall muta-tis mutandis apply to the members of the committee as well.
- e) If any member does not attend three consecutive meetings of the Committee without any valid reason, he shall cease to be member of the committee after a notification to this effect is issued by the Chief Minister,<sup>27</sup> Delhi.

### 12. POWERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE:

- i) The committee shall give effect to the decisions of the Academy on matters and arrange for carrying on the work of the Academy.
- ii) The Committee shall have all powers which may be necessary or expedient for carrying out the objects of the Academy as set out in the Memorandum of Associations.
- iii) Without prejudice to the generality of the Powers conferred by Sub-rule (i) and (ii) above the Committee shall have the following powers:-
  - To lay down its own policy regarding the production and publication of books and other literature in Punjabi.
  - b) To make, adopt and vary rules for conducting its business and Admn.
  - c) To appoint, confirm, discharge and dismiss staff of the Academy.
  - d) To prescribe the condition of service of the employees of the Academy with the approval of the Academy.
  - e) To receive, hold and expend the funds of the Academy and manage its properties and affairs.
  - f) To purchase, take on loan or otherwise acquire or dispose off any property with previous approval of the Academy and subject to the approval of the President.
  - g) To appoint one or more sub-committees for carrying out any function of the Academy generally or for any adhoc purpose.
  - h) To co-opt any member or members (not exceeding three) for purpose of obtaining his advice in carrying out any of its functions.

### 13. MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE:

- i) The Committee shall meet at least once every month and at least 3 days notice shall be necessary for every such meeting. But emergent meeting may be called at 24 hr's notice.
- ii) Secretary<sup>28</sup> shall be Convener of the Committee and he shall call the meeting in consultation with the Chairman.
- iii) A record of proceeding of every meeting shall be maintained.
- iv) A decision by the majority of the members present at the meeting shall be deemed to be the decisions of the Committee.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

पंजाबी अजाएमी

v) The Chairman and in his absence Vice-Chairman shall preside over all the meetings of that Committee, provided that if both are absent in a meeting one of the members present, may preside over that meeting.

### 14. FINANCE ACCOUNT AND AUDIT:

- i) The Academy shall maintain proper accounts and other relevant records.
- The accounts of the Academy shall be annually audited by auditors to be appointed by the Academy.

### 15. TREASURER:

- i) President of the Academy may appoint a person with a complete knowledge of financial rules and regulations to be Treasurer of the Academy and sanction him such honorarium or conveyance allowance as may be deemed appropriate.
- ii) The Accounts with the Bank shall be operated by and under the signature of the Treasurer and Secretary.<sup>29</sup>

### 16. GENERAL PROVISIONS:

- i) The income from properties of the Academy shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in the Memorandum of Association. No portion of the income and property of the Academy shall be paid or transferred directly or indirectly as dividends, bonus or otherwise to the members past or present.
- ii) All contracts and other instruments relating to the Academy shall be expressed to be made in the name of the Academy and shall be executed on behalf of the Academy by the Secretary<sup>30</sup> and one member of the Committee to be nominated by the Executive Committee for the purpose.
- iii) The members of the Academy or of any Executive Committee appointed by it who are employees of the Govt. of Delhi<sup>31</sup> or Central Government or statutory bodies shall be entitled to travelling or daily allowance according to the rules of their respective Government/Statutory bodies, Other members of the Academy shall draw daily and travelling allowances as are admissible to the class I employees of the Govt. of India.
- by these rules, the controversy shall be referred to Chief Minister<sup>32</sup> and his decision thereon shall be final.

JASPINDER SINGH SODH!

Deputy Secretary (Accounts)

Deputy Secretary, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Gani, New Delhi-110055

पंजाबी अपापभी

### 17. DISSOLUTION:

If on the dissolution of the Academy any property remains after the satisfaction of the debts and liabilities, the same shall be disposed off in the manner directed by the Govt. of Delhi.<sup>33</sup>

### 18. AMENDMENTS OF RULES:

The rules may be amended, added to or altered at a general body meeting of the Academy specially requisitioned for the purpose either by the Executive Committee or by not less than 8 members of the Academy. The Secretary<sup>34</sup> shall call such a meeting in consultation with the President after giving fifteen days notice.

### 19. SUITS:

The Punjabi Academy of Delhi may sue and will be sued in the name Punjabi Academy of Delhi through its Secretary.

### 20. MISCELLANEOUS:

In the event of dissolution of the State Assembly, the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi shall be the ex-officio Chairman of the Punjabi Academy.<sup>35</sup>

- 1 to 5 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.
- 6-13 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.
- 14-23 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.
- 23-27 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.
- 28 & 29 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.

30-35 Ammended in a special meeting of the Governing Council convened on 10th Oct., 1994 at Raj Niwas under Rule 18 of the Rules and Regulations of the Academy.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
Punjabi Academy, Thana Road
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

पंजाबी अमाएमी

### SCHEMES OF PUNJABI ACADEMY, GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

- Publication of High Standard Punjabi Books.
- 2. Publication of magazine 'Samdarshi/monthly newsletter Punjabi Sikhia Sandesh'.
- 3. Scholarship for Research work in Punjabi literature.
- Establishment of Reference Library.
- 5. Financial Assistance for Research Projects in development of Punjabi Language, Literature and Lingual Culture.
- 6. Book Release/Book Fair etc.
- 7. Pension to Punjabi writers and their dependents who are in indigent circumstances.
- 8. Annual Literary Awards to distinguished writers, artists and journalists.
- 9. Subsidy to small Newspapers/Periodicals for development of Punjabi language.
- 10. Purchase of books direct from authors for distribution to schools and college libraries.
- 11. Financial Assistance for publication of manuscripts of Punjabi writers.
- 12. Auditorium subsidy to the organisations involved in propagation of Punjabi language, literature and culture.
- 13. Subsidy to organisations involved in propagation of Punjabi literature, composite lingual culture and national integration.
- 14. Commemorative programmes in the memory of prominent writers/artists.
- 15. Celebration of special functions in honour of prominent artists/writers.
- 16. Organisation of Kavi Darbars on the Eve of Republic Day and Independence Day.
- 17. Organisation of Seminars/Symposia in Punjabi.
- 18. Organisation of Semars in Colleges and Schools.
- Language-cum-Demonstration programmes in Schools/Colleges by distinguished writers and artists.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055



- 20. Organisation of Punjabi Kahani Darbar.
- 21. Organisation of Meet the Author/Artists programme.
- 22. Punjabi Poets' Meets-Shairee.
- 23. Financial assistance to voluntary organisations for teaching Punjabi language.
- 24. Establishment of Punjabi language teaching centres.
- 25. Summer Vacation teaching centres.
- 26. Training in Punjabi typing, shorthand and computer data printing.
- 27. Inter-College and All India Cultural Competitions.
- 28. Collaborative programmes with Govt. of Punjab and other institutions.
- Preservation and Documentation of Punjabi language and culture through Audio Visual Programmes.
- Sponsorship of programmes to volunteer organisations engaged in propagation of Punjabi Culture.
- 31. Sponsored programmes in open areas of Delhi.
- 32. Joint Programmes with other Academies.
- 33. Punjabi Theatre workshop and Festivals.
- 34. Organisation of Punjabi Mela.
- 35. Celebration of National Integration Week.
- 36. Festival of Traditional Music of Punjab.
- 37. Inter-State exchange of writers and artists.
- 38. Punjabi Bhasha Sewa Sanman.
- 39. Young Talent Awards to the students who secure Ist and IInd positions and distinction marks in Punjabi language in different classes at school level and college level.
- 40. Declamation Contests at School and College level.

grow D

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Punjabi Academy, Delhi
Punjabi Academy, Thana Road
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055



पंजाबी अजाएभी

- 41. Poetry Recitation Competitions in Schools and Colleges.
- 42. Inter-School Cultural Festival.
- 43. Provision of Coaches for training to students at schools and college level in Punjabi dances and drama.

44. Translation of high standard books from Punjabi to other Indian languages and viceversa.

JASPINDER SINGH SODHI
Deputy Secretary (Accounts)
Deputy Secretary, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
Punjabi Academy, Delhi
DDA Community Centre, Sadar Thana Road
Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055

### डॉ॰ गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्ये विधी प्रतिदेशिनम् समिति के नियम एवं उप नियम

(1) डॉ॰ गोरवामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् दिल्ली सरकार होगा।

(2) संस्था का नामः डॉ॰ गोखामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् समिति दिल्ली सरकार का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा । निम्नलिखित सभी नियम उप नियम इस प्रतिष्ठान पर लागू होंगे।

(3) जब तक सन्दर्भ में अपेक्षित न हो नियम एवं उपनियमों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द एवं पदों का अभिप्राय निम्नलिखित है।

(अ) प्रतिष्ठानम् का अभिप्राय डॉ॰ गोस्वामी गिरिवारी लाल शास्त्री क्याय विद्या प्रतिष्ठानम् से है।

(आ) अधिनियम से अभिप्राय दिल्ली संघ राज्य है। में यथा करने समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 / 1957 के पंजाब संशोधन अधिनियम ते हैं।

(इ) समिति से अभिप्राय डॉ॰ गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् की समिति से है।

(ई) 'सदस्य' से अगिप्राय इस समिति के सदस्य से

(उ) 'शासी परिषद का अभिप्राय प्रतिष्ठान के नियमों अन्तर गाउँ जिस्सीमिति से है।

(ऊ) विद्या परिभद् वन अभिप्राय प्रतिष्ठान के नियमों द्वारी सिव्ह के से है।

(ए) 'अर्थ रागिति' रो अभिप्राय है कि प्रतिष्ठान के नियमों द्वारा गठित समिति है।

(ऐ) 'अध्यक्ष' से अगिप्राय है कि प्रतिष्ठान की समिति के अध्यक्ष से है।

(ओ) 'निदेशक / सचिव' से अभिप्राय है कि प्रतिष्ठान के कार्यकारी अधिकारी से है।

(4) सामान्य समिति:-

डॉ. गोरवामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् की संगिति में निम्नालिखित रादस्य होंगे जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अध्यक्ष पदेन

2. सिगिति के सदस्यों में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को माननीया मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, की हैसियत से इस संस्था का उपाध्यक्ष नामित करेगी।

ा गो कि ला शा प्राचा पिता प्रतिष्ठानम् प्राचा पिता प्रतिष्ठानम् पिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमन्त्री/अध्यक्ष प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रतिष्ठान स्विकृति के लेक्स के रूप में कम से कम 11 सदस्यों को नामित करेंगे जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्याओं में निहित ज्ञान—विज्ञान तथा संस्कृत में निहित समस्त विद्याओं के प्रति निष्ठा रखते हों तथा इस प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उपयोगी हों, इस समिति में भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो या दिल्ली के गैर सरकारी व्यक्ति हों वे ही शामिल होंगे, जो प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हों। संस्कृत अकादमी का सचिव पदेन सदस्य होगा। अध्यक्ष चाहे तो सचिव के स्थान पर उपाध्यक्ष अकादमी को भी पदेन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। इस समिति का सिवाणी जी से प्रामाणिक रूप से जुड़ा सम्बन्ध मी प्रतिष्ठान की समिति का सदस्य होगा।

- 4. उपर्युक्त राण्ड में वर्णित शर्तों के आधार पर विज्ञान मिरकार) प्रतिष्ठान के अध्यक्ष की हैसियत से प्रतिष्ठान के कार्यों को संप्रतिष्ठ केन से संचालन हेतु एक निदेशक की नियुक्ति करेंगी। जो कि संस्कृत भाषा का समर्पित विद्वार कि कि केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी या सरकार की स्वायत्त किया के उपन का वारह वर्ष तक पूर्ण रूप से कार्यकारी अधिकारी की हैसियत से अब रखत हो, साथ की लेखन सन्पादन, प्रकाशन, सम्मेलन, संगोष्टी आदि की हो संस्कृत का अनुभव रखता हो तथा साथ ही संस्कृत की स्नातकोत्तर प्राच्य एवं अवीचीन उपाधि प्राप्त हो निदेशक पदेन इस समिति का सदस्य / सचिव होगा।
- (5) प्रतिष्ठान की सदस्यता की शर्ते—

  पदेन जिन सदस्या की प्रतिष्ठान की समिति में नियुक्ति किया जाता है उनकी

  अकादमी की सदस्यता उनके पद से हटते ही समाप्त हो जायेगी।
- 1- पदेन सदरगों से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व होगा किन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।
- 2- यदि कोई रादरय त्याम पत्र देता है विक्षिप्र हो जाता है। दिवालिया घोषित हो जाता है अथवा उसके नैतिक अक्षमतायुक्त सहित किसी फौजदारी के अपराध में

निदेशक हा. मो. गि. ला. शा. प्राच्य विद्या प्रतिप्छानम् दिल्ली संस्कार, दिल्ली दोषी ठहराया जाता है अथवा बगैर किसी वैध क्रिकंप के र्स्तर्गितीर तीन बैठकों में अनुपरिश्वित रहने के कारण अथवा अध्यक्ष द्वारा सुविचारित किसी अन्य कारण से प्रतिष्ठान की सदस्यता को उनके द्वारा हटा दिया जाता है तो उस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

- 3- पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य जब प्रतिष्ठान की सदस्यता से त्याग पत्र देता है तो वह प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को सम्बोधित करके भेजेगा एवं त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तिथि से प्रभावी होगा।
- 4- पदेन रावस्य रो भिन्न प्रतिष्ठान की सदस्यता की कोई भी रिक्ति अध्यक्ष दिल्ली द्वारा भरी जायेगी एवं ऐसा नियुक्त व्यक्ति प्रतिष्ठान की अनवीती अवधि तक के लिए प्रदासीन रहेगा।
- 5- प्रतिष्ठान में कोई भी पद रिक्त होने तथा इसके किसी सदस्य के नामित अथवा नियुक्त न किये जाने अथवा उसमें मोई तृटि रहेन्द्री बावजूद प्रतिष्ठान अपना कार्य करता रहेगा।

6 दिल्ली रारकार की मुख्यमंत्री दिल्ली प्रतिकान की अध्यक्ष होंगी।

7- उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष श्रीप में कार्य करें। अपने अधिकारों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

### (6) प्रतिष्ठान का निदेशक -

- 1. अध्यक्ष द्वारा एक वैतनिक एवं नियमित अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जायंगा। निदेशक प्रतिष्ठान के कार्यालय का पूर्ण रूप से कार्यकारी अधिकारी होगा।
- 2. निदेशक अध्यक्ष के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन प्रतिष्ठान के दिन-प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

3. निर्देशक को प्रतिष्ठान के कार्यों को सुचारू रूप में चलाने के लिए समिति द्वारा आवश्यक कर्गचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

का. यो. वि. ला. शा. प्राच्य विद्यां प्रतिष्ठानम् दिह्ही एतकार, दिल्ली

- 4. संस्था द्वारा दिये जाने वाले निदेशों के शिक्षिधीन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोगा जो कि अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदर्शन रो प्रतिष्ठान के संगुवित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5. निदेशक, प्रतिष्ठान की दार्षिक रिपोर्ट उसका लेखा तथा बजट सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 6. निदेशक कर्मचारियों के कर्तव्यं निर्धारित करेगा तथा कार्यालय पर यथा आवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा। कर्तव्यं विमुख एवं अनुशासनिक कर्मचारी पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
- 7. निदेशक प्रतिष्ठान के समस्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। सरकार प्रतिष्ठान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें उचित अनुदान उपलब्ध कारायेगी।
- 8. िदेशक का रतर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान भारत सरकार या तत्सगकक्ष संस्थानों के समान होगा। वेतन आदि की सीमा भी तद्वत् ही होगी। निदेशक की अधिकतम आयु सीमा 70 (सत्तर) वर्ष तक होगी। विदेशक की विदेशक का कार्यकाल एक बार में बार वर्ष होंगी।

### (7) प्रतिष्ठान की बैठक:-

- प्रतिष्ठान की वैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। प्रतिष्ठान की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जायेगा।
- 2. निदेशक अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद बैठक बुलायेगा।
- 3. प्रतिष्ठान की वैठक के लिए 3/4 सदस्यों को कोरम की अपेक्षा होगी परन्तु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा जो इसके कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई हो।
- 4. वैठक में उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों के निर्णय को प्रतिष्ठान का निर्णय समझा जायेगा।

प्रत्येक यैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा।

हा, मी. गि. ला. शा-एक विका प्रतिष्टानम् दिल्ली सरकार, दिल्ली INV Bhalha

TIF THE THE TIE selicity.

......अध्यागर के लिखार ...

१. प्रतिखान के अध्यक्ष

इस परिषद के निम्निलिखित सदस्य होगी:-

नः प्रिवर् :-(8)

। गार्फक छिपिर क्रिक्टिंड के छिपि कपूर के कछई किमाड़ कि

मिमिन के प्राव्या क्षेत्राक्ष के प्राव्या किया के प्राव्या के माना के प्राव्या कि माना के प्राव्या कि माना के प्राव्या कि माना के कि माना कि म

पेराक भिक्ता माळितीय काष्ट्रभी तथा एक क्षा मालेक प्रतिका प्रतिका प्रतिका प्रतिका प्रतिका प्रतिका प्रतिका प्रतिका (3)

। गाम्प्राण फिकी करित्र प्रचिनि कि त्रीमुस्ट कि खप्या क्रिया प्रमुत हिन (a) । एप्रविध प्रतिष्ठी एक केव त्रवी रिखपी (एक माळकीए) त्राधीमप क्रविधि। एराउ किराअप्र

(11)

। छिर्मक कि म्योगिक कि प्रतिष्ठा के कार्यशासन से सम्बन्धित विषठ वर्ष को प्रशासनिक

क्या के अनुमान का उल्लेख हो तथा चालू वर्ष की पूरक मांग मार प्रही के घेठ तकी हागढ़ मिरारी अध्य कविश रक अधिर

क्रुक्रोकिन्ति काष्ट्रिति में कठि घनागाप्त कि ज्ञिक्सीप

शिष्ट्रमुक लाह निड में कठई किया प्रामाप्त

जिस कारण तेउक बुलाने की आवश्यता जुड़ी उसके अपूर्य का उल्लेख विशेष रूप 113 हार कि ठिरुप में एक तथीली

क्षिमार के ब्रह्मार काष्ट्रिम आप के प्रक्षाक्षर के क्षिर्या काम किए (EZ)

> 15 हो। कि 1913 प्रिन्नम 4\E मक कि मक के नाळितीर गिम डाउ (中)

> > 18

तिकार ति डालह कठा भि लडीए में तीथरिया वाष्ट्री । तिर्वेड कठा प्रनामास कविति कि । विषय कार्याधार केत्रप के वाम रह प्राप्तानामा कि कठड़े कित्रप कि वेष भारत है जाभेगी।

राह्मभूति हो। हे वा अध्यक्ष हाय हिन्द्र प्राप्त हो। के वाद उपल हो। में किठ नित में वास्ति के विभाक यह के कि मिन्न प्रति प्रित्र होक होए 12

- प्रतिखान की शमिति से सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे। Registrar of Society
- प्रतिखान के निदेशक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे।
- प्रतिखान की समिति की मीति शासी परिषद् का कार्यकाल भी तीन वर्ष का होगा।
- यदि कोई रादरय विना सूचना के बैध करणों के अभाव में तीन बैठकों गें अनुपरिधत बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो 16 अध्यक्ष द्वारा निर्देश प्राप्त होने जायेगी।

## शांसी परिषद् की शक्तियाँ 9

- गरिगर् नीति सम्बन्धी मामलौ पर प्रतिष्ठान के निर्णयों को कार्यान्दित करेगी। तथा प्रतिष्यान के समस्त संचालन व कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी।
- अधीन वे समस्त शक्तियाँ होगी जो प्रतिष्ठान के ज्ञापन में करने के लिए आवश्यक तथा हेतु नीति एवं नियम उत्तिविधता प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को कालोचित हों। साथ ही प्रतिष्ठान वनाना तथा उनका कार्यान्वयन कर अपना कार्य और प्रशासन चलाने शासी परिषद् के करना
- कार्यभ करना एवं पदो का आवश्यकतानुसार भुजन करना। प्रतिष्टान के कर्मचारियों की नियुषित पदीन्नति,
- प्रतिष्टान के कर्नचारियों की सेवा शतों को निर्घारित करना।
- रखना तथा खर्व करना तथा इसकी (आमदनी की) सम्पत्ति तथा कार्यकलापों का प्रबन्ध प्रतिष्ठान के लिए सरकार से तथान्य स्रोतों से निधि प्राप्त करना उसे देखाना ।
- प्रतिष्ठान की पूर्व अनुमित से तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन कोई सम्पत्ति खरीदना उरो ऋण पर लेना अन्यथा समाति अधिप्रद्वीत करना अथवा बेचना।
- प्रतिष्टान के किसी कार्य को सामान्य रूप से चलाने हेतु अथवा तदर्थ प्रयोजन के लिए एक अथवा अधिक उप समितियों की नियुक्ति करना।
- किसी सन्दरय अधवा सदस्यों को तथान्य किसी विशेष व्यक्ति, को (तीन अधिक नहीं) किसी कार्य में उसका परामर्श लेने के लिए सहयोजित करना।

3 54

HENRY WITH MANAGES रिट्यी स्तरकार, रिट्की डर. भो. पि. ला. श्रा.

निवंशक

## Registrar of Society

# शासी परिषद् की बैठकः:-

- परिषद् की बैठक दो महीने में कम से कम एक वार अवश्य आयोजित होगी तथा प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए तीन दिन पहले सूचित किया जाएगा। परनु आपात् वैठक २ घण्टे की सूचना पर बुलाई जा सकती है।
- संयोजक होंगे तथा अध्यक्ष से परामर्श के बाद बैठक नेदेशक, परिषद् के वुतायेंगे।
- निदेशक द्वारा ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का उल्लेख रखा जायेगा।
- बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का निर्णय माना मौजूदा सदस्यों के जायेगा।
- व्यक्तिगत रूप से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर कौरम पूरा समझा जायेगा। परन्तु उस बैठक के अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई अपेक्षित नहीं होगी जो कौरमं के अभाव में स्थिगित कर दी गई है।
- दोनों ही अनुपस्थित नामित हो तो परिषद् की अध्यक्ष तथा उसकी अनुपरिधाति में समी वैदकों की अध्यक्षता करेंगे परन् होते है तो उपस्थित सदस्यों द्वा अध्यक्षता करेंगे।

विद्यापरिषद् :--

6

- प्रतिष्ठान के उप निदेशक (शैक्षणिक) होंगे इन विद्वानों का चयन निदेशक, संख्या कम से कम 25 होगी, इस परिषद् के अध्यक्ष प्रतिष्ठान के निदेशक होंगे। संयोजक विषयक प्रतिष्ठित आचार्य/विद्वान् सदस्य होंगे। जिनकी विधा परिगद् में भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों प्रतिब्हान करेंगे।
- यह परिषद् प्रतिष्ठांन की परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम , पाठ्य पुस्तक परीक्षाओं की गूल्याकन पद्धति इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बन्धी समस्त नीति निर्धारण करेगी। जिसका अनुमोदन शासी परिषद से आवश्यक होगा।

### (10)अर्थ समिति -

Registrar of Society

प्रतिष्ठान की अर्थ समिति समस्त वित्तीय मामलों का अवलोकन करेगी वार्षिक वजट का प्रावधान बनायेगी। जिसका अनुमोदन शासी परिषद्/

सामान्य समिति से आवश्यक होगा।

का सदरय-सचिव होगा। जिनका सिमिति में तीन अन्य सदस्य होगें, मनोनय इस सिमिति का अध्यक्ष प्रतिष्ठान का उपाध्यक्ष होगा। निदेशक इस सिमिति

अध्यक्ष द्वारा होगा

# वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा-

प्रतिष्ठान उपयुक्त लेखा तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख रखेगी।

द्वारा वार्षिक जॉच की जाड़े प्रशिष्ठान के लेखा की प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों

कोषाध्यक्ष :-

प्रतिष्ठान की शासी परि रखने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठान षाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। तथा विनियमो के पर्याप्त ज्ञान

शासी परिषद् का सदस्य बैंक खातों का जाता कोष अधीन रखेंगे। उप निदेशक (वित्त) के अभाव में नि वैक गं लेखा उप निदेशक (वित्त) और निदेशक रवय

जिसका भनोनयन शासी परिषद करेगी।

सामान्य उपबन्ध :-

की संवृद्धि के लिए खर्च की जायेगी। प्रतिष्ठान की किसी सम्पति अथवा प्रतिष्ठान की सम्पत्ति से हुई आय संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों आय के किसी भाग की किसी पूर्व अध्यवा वर्तमान सदस्य को रोधि या अप्रत्यक्ष रूप से लाभाश वोनस अथवा अन्य रूप से हस्तान्तरित नही

Taran freel

- 2. प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सभी संविदायें और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान के नाम में किये जायेंगे तथा समिति के कार्य निदेशक एवं उस प्रयोजन के लिए शासी परिषद द्वारा नामित सदस्य प्रतिष्ठान की और से उसे निष्पादित करेंगे।
- 3. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त किये गये इसके अथवा किसी शासी परिषद् समिति के सदस्य जो दिल्ली सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा साविधिक निकायों के कर्मचारी है वे अपने सरकारी साविधिक निकायों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यात्रा आदि दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे। प्रतिष्ठान के अन्य सदस्य भारत सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों के लिए ग्राह्य मत्तें के अधिकारी होंगे।

इन नियमों की व्याख्या व्यवस्थित मामलों के स्वीकृति से कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उसे अध्यक्ष महोदय के प्राप्त मेजा जायेगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(14) भंग किया जाना :--

आवश्यक होने पर सोसायटी पंजीकरण अधिनिश्च 1860 की पर एवं 14 के अनुसार निर्धारित उपबन्धों के अधीन भंग किया जा स्तीता है

(15) नियमों में संशोधन :--

संशोधन के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गर्मी प्रतिष्ठान की सामान्य वैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12 (क) के अनुसार निर्धारित उपवंधों के अधीन नियमों को संशोधित परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

(16) मुकदमें :--

'डॉ॰ गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा ६ के अनुसार 'डॉ॰ गोस्वामी गिरिधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्' के नाम रो अपने सिवशक

टा. मी. भैंग. ला. शा. प्रांच्य विद्या प्रतिष्टानम् वित्ती सरकार, दिल्ली

1697月、7月7月日 高野舟 THE PROPERTY WAS IN THE PARTY I JIF AN. 161, AN. 201. selle by

My Main काष्ट्रिमी क्षेत्रप्त कि मान के मानकितार प्रिक्रा प्राप्त हिमारीयी मिक्सि गेंड नामहर के 8 गाय कि 0381 मधनिशिष्ट एप्रकृषिए दिए।।प्रि

मिनळितिर छिने छार हिशाष्ट्र हाछ शिष्टिनि मिक्सि बँड

-: भित्रकृति (91)

परिवर्धित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

ह्य st 1518 कि 0081 मधनिशिक एडकिए डिमाइसि में केड फानाए कि

नाव्यक्तार किए थि। हे एक वर्षि पूर्व के नार्वापर के नार्वापर

-: नियाष्ट्री में मिप्रनि (12)

ार कियी गांव मिशक के विकाय कि निवास अपन्य के का

निभिष्ट पिरकिए डिग्रामिष्ट प्रम निष्ठ कप्रप्रमाध

(t1) 

। गाग्र मान्यार अधिन । कान्छ

प्रम प्रम और गामि गामि क्यांस महोदय के प्रमान गामि पर प्रम । गिंड शिकशिर क

कि अन्य भारत के प्रकार के प्रकार के प्राक्ष के भारत के भारत कर के माळितार । विशे शक्का के नाम । । । किम किम द्वार प्राप्त के विमार हाक्रीअप र प्राक्रित कडीहीए शिक्ष्रप्र स्प्रह ह है शिष्टमिक के प्राक्रित किनियार वाथवा राक्त्रप्र प्रदिन्क वाथवा राक्त्रप्र किन्द्री कि होमिल इष्ट्रीए क्षिता क्षिकी काथह केएड का केकी काथिन एउड लाखिए

उसे नियादित करेंगे।

7

क्ष प्रीक कि माळकीए एप्टेम क्रमीन एगड़ कृष्टीम क्षिया प्रकी क मार्थाप्र एक हैं। कार्यन के किमीए एक किमीए किमी में मान के Handly कि एक उस्त एकात्रक प्रमार प्रमार क्षेत्रक कार्य कार्य

58 -puemy 

## वाषिक सुची

प्जीकरणः अधिनयम 1860 की धाषा ४ के अनुसार पजीयक के का

## प्रयोज्यता

्रिडेल्यी ताघ राष्ट्रय केन्द्र में यथा विस्तारित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 प्रजाब संसोधन अधिनयम 1957 के सम्म ऽपंवन्त देश सोमायदी 9र लागू होगे। पांपणित किया जाता है कि इ

नेपन एवं उप नियम क

डॉ७ पुष्यन्त्र कुमार वरिष्ठ सदस्य

> उपाध्यक्ष प्रतिष्ठान

### CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

Registration No. S/ 61	125 /2008
I hereby certify tha	त "
located at 1 1 21.	
ाकाशन गणं, पदम	ਰਾਗਟ , ਕਿ ਕਾਨੀ _has been registered*under
SOCIETIES REGISTRATION	ACT OF 1860.
	d at Delhi on this <u>29</u> day of
Two Thousar	ad Eight.
Fee of Rs. 50/- Paid	Balwant SINGH) REGISTRAR OF SOCIETIES
8031 3000	GOVT. OF NCT OF DELHI DELHI
Rogistrar of Societies	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

\* This document coeffices registration under the Society Registration Act, 1860. However, day good, department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.

Bolis.

Min. Bette, beter epfellige bu

( ) used has actual oxine & store by that is tille to needer paper. er nesde oppone time to steam the st

ete får pin får frephre Byische-flowift abilde fr ping derer og bigg te teprofie-fereich ib wur de firmieller ibr ientrefeng de frebue Rigerie at

एता एक्सिक कि कि विकास किन्छ। विशे कि व्यवस्था के किया के क्रिया erre al birr ievar maufile iar tolpur erre by en fiel & fleriane at

मुल्क मण्डामण कि किछी कि क्षिमाड छात्रीक्षण स्वीम के तिएसी एक का तकाराना की वामस्या करना,

क्नार के प्राक्रप्र विषय विश्व विश्वकित्रीय हम प्रतिष्ठित करण में विभागीर-विज्ञाली स तिये उपर्युक्त हारम के अनुसरण में रारकारी आदेशों का कार्यान्त्यमन करना. रेडक माइए ताप्राचार प्रतिज्ञी कि का धमल कि माए एत्वावीए वि जापा करिय किया किया है विक्रमां क्रिया क्रया क्रिया क्रया क्रिया क्रिय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रि रम सिटाएसमार निर्वाहार कि डिप्टालिट-िन्छिति में एडिएसीम क

क निक्रम कड़ीकि कम्प्रीसीएक क्या डाक्स्पर होगी शाह । जात आसी हानियार हो किम क्या निकास क्या होगा किन्या क्या मार्थ । जात । जात । जाता । जाता

के प्रमप्त के लिया के लिया के क्षित्र क्षिताओं के किया के लिया के लिया के लिया के लिया के लिया के लिया किया के लिया किया के किया क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षत्र क्षत्र क्षित्र THYA FISK

तिमात्रम प्रक्तिन ज्ञामतीय कि किछि इम्पूर्य किछि के रिपृष्टीम-निछि

त्रकुरपृ कि किछि के किलान्छ ताष्ट्रीकप्र कि प्रिमार्गान-निविध में घेड कप्र निराधी

मेथिली-भोजपुरी के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना,

,ान्त्रक ताष्ट्रीकप्र में रिपृष्णीम-किछोर्म कि स्थिन्छत्र स्वर्ध ताष्ट्रीकप्र कत बस

नाशकर क कित्मपृ प्रजाप तज्ञामम तज्ञीमम कि फजीम रिपृर्णन-किछि निप्रपृ ,ान्प्रक नाप्राकप्र किन्छ छेप । । । । कि कि फिर्म के प्रिमूर्णान-निर्धित

अनुवाद नहीं किया गया है, उनके मेथिली-मोजपुरी में अनुवाद की व्यवस्था

में रिपृष्णीम-किथिमें का बस तक सिंहाम्बर फ्रम्ह छेए काफीप्रकें कफीडीतम नही तिरुक नाष्ट्राकप्र कि किन्स्रमु कि फिनी के किन विद्या विद्या विद्या कि

। ग्रिक क्रीवृत्यार वंग गर्मियी कि क्रजीए

-: प्रष्ठेट्रिट हेंगे धाक के तिमिष्ट । तिश्व होगा । 3

2

किली, प्राप मद्रम ,हांग नाइकी ,निवार प्राप्ति ए हि हि प्रश्नीयक तकुरिएं तक तिमिल । गार्गत्र किन्नि मिन्नकार रिपृष्णीर-निधीर्म मान तक तीमीप्त

मिथिली-मोगपुरी अकादमी, दिल्ली का संघ-द्यापन

nole Joh

क मियाय की समस्त आय को सोपायरी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के क्षियों है।

19. मेथिली-मोजपुरी अकादमी के प्रशासिक किमा द्वारा समय-समय पर जारी

स्टें के स्टेंस के तिमित , 1860, मफ्निया, एक्सिया क्रिक्स के स्टेंस के अधिक के क्रिक्स के क्रिक्स

21 3	unining) Thurst	יו בוויצוו בוני	1.4 11.7		
11.4.11	= from + Touris Tro	7/8 1.6.6 130-10.13.11	74.74.		
	0 - 5	2134)	- 1 4·		
		10XXIIX	Burthe	A.h. wan the	1
	Level 1	Temperation frages	Luce.		
	Tours	1206 01297 3,15(0)	P.		
	- Janal	१६८७ कराय अंतिरा सार्यस्य	Branfile.	क्षा भारतकृत तीचा	9
	V	יה שות פורית מומוש	JUN- 1		
	Webl To	संस्था की कराता माने के कार्य	E	או אחלת שונינו	G
		TO DESTE	शिकाशीह	विष्णाह वर्षवर् सः	4
	2. 1.	0-maio. Du	2		
	لا وهما والح	म् द्रमानि रवे गर्य	31	ालामं ह्यंट विमिष	·v
	12/2	PY51Y	शिकिशिह	tertit teir dena	
	ich bi	المرابع المرابع	24_		
,	TOCH MO THE	ושונציותו	Dishbilo.	निष्ठकी गिष्ठ दि	£
1	70-120	DASHA	() शिकग्रीह	ज्यान्य । ।।।	
1.27	The same of the sa	नुभा स्तर्भात्रिय			
12		नान सन्ति । साह	. शिकशिरू	किया सन्दा	2.
195	12-16-16-15-5	Instr	fire our		
3	- 150°	LINE II S HAAS			
	CAD ELL	महम अध्यक्ष	हिमफ्रिम्	भीती शीला दीक्षित	- 1
	305 12 12 18 AB	remain Tem	A:	-00 0 0 0	
-	12115				17
	1 / .	mp_	hillihba	my b bills	.क
	<u>६४वाझ</u> ४	ba bh	व्यवसाय	फिए हे मीन	35

। ई फिकार **कि फिक्का कि**निन्म : ह्य में मल के एप्डम में ड़िक्क गर्नीका कि फिपड़म नामके एउड़

। रिष्टार हि स्माप्त हि ६५३ ६ इप किन्छ गदस्यता है। ाफ्की फिनिनिम निधिष्ट कं (s) ह मफनि कि फिप्रमुप्त नईम निधी ,r

भदस्यता की शाते कि डिंकि एनिकार कि मिन्नाकार

। तातार वि डिन क्रधृनि शिलधीएक्तर किन्छ की का बर रिंडेर नेब प्र इप न्मर का वा प्रत्रम निम में फिरम नर्म हुंकी। गांव धनी भदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति का विशेष से दो वर्ष 2. पदेन सदस्यों (नियम 3 (2) में पिल्लिखित) से भिन्न प्रत्येक

ाफ्डी 153 1913, रोप्रेट में क्रिफेट कि क्रिकेट कि क्रिकेट में क्रिकेट में क्रिकेट कि क्रिकेट कि क्रिकेट कि क्रिकेट कि अधिक कि में किठि कि प्राणामक प्रकार कि किकी प्रीप किछा मिकी त्रिपादिक क्षित्र अधियोद्देशिक एप्राक के नेडिंग त्राक्षीमहार ई कार छात्रडठ विदि में छात्रमध के त्रिज्ञात्म किकी कड़ीए तिवालिया घोषित हो जाता है अथवा उनके नेतिक अक्षमतायुक्त .ई फाफ वि प्रथित है कि हमागड़ स्प्रम हैक शिष्ट ह

। गार्गड क्षिप्रम ह अभित्र कि निश्क शक्कि । शह । अध्यक्ष हमागक वृंगु ।। गिर्ह क्षेत्रक होता कि प्रियम महिल्ला क्षेत्रका होता है। (३) ह स्पान के क्षेत्रका होता है। क्षेत्रका होता कि स्था है। क्षेत्रका होता कि स्था है। क्षेत्रका होता कि स्था है। कि स्था है। कि स्था है। कि स्था कि स्था है। कि स्था कि स्था कि स्था है।

। एन्ड्रेंग निभारूप फिली के कात बिहार प्रष्ट कि विभागकार न्मिर्म इकि कि कि एप्रत्रम कि विज्ञकार निर्म १ प्रजाप निर्म

। विद्धेष्ठ किष्ठक प्राक्त हिमार विद्धाकाट झूठाग्राप्ट क िश्व जिह इंकि मिर्फ्य कथर निर्म क्यी र मियुरी कथरा उत्ता अंध एउट्टा कियी पान , नेडिंग डीहू इंकि में नेगण कियी गिगा। कि एउटार पि फिकी काएड एएत निड तकरी डाए पि इसि पि पियाकार स

। विरोह , विरोध प्राध्याद । विरोध के विरोह । विभावत िष्ट्राप्त - किन्द्रीति हिम्म्यम् विर (क निर्मात) हिन निर्माणाप । प्रिया

1 Hitellia यताहमहा का तन्त्रानान अहमहा कु देवल हु आवर्काकवानुद्राह किया

Burth

Patrathi

The state of the s

अकादमी क संचिव

- सचिव की प्रतिनियुक्ति के आधार पर विधियत् नियुक्ति कता, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा की जायेगी जो अकादमी के कार्यालय का कार्यभारी अधिकारी होगा ।
- सचिव अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन अकादमी के दिन-प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा ।
- सचिव को अकादमी के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यकारी समिति की अनुशंसा पर आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4. संस्था द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अधीन सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जोकि अध्यक्ष एवं गवर्निंग बॉड़ी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन से अकादमी के समुचित प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा।
- 5. सचिव अकादमी की वासिक रिपोट्या दुसको (लेखा तथा बजट सरकार द्वारा निर्धारित वर्रीक से तैयार करने के लिये जिम्मेदार होगा ।
- 6 सचिव कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धेति कर्रियों तथा कार्यालय पर पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियत्रण रखेगा ।
- त्र सचिव, लेखकों, अनुवादकों से उनके कार्य के बारे में प । वार करेगा, पांडुिलिपियों की जांच करेगा, उसका संपादन अध्यक्ष स्वीकृति पश्चात् उसके प्रकाशन की व्यवस्था करेंगा अध्य अकादगी की ओर से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग स्था अन्य निकायों से संपर्क स्थापित करेगा।
- u. अकादमी की बैठक
- 1. अकादमी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। अक्ट्रिया की बैठक बुलाने के लिये सचिव सदस्यों को कम से कम पर्दे दिन पहले रूचित किय जायेगा। लेकिन आपातकालीन बैठक अध्यक्ष की सारमित से बढ़ पंदे की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकती है।
- 2 सिवा अध्यक्ष रो प्रशमर्थ करने के बाद वैठक मुलाएमा ।
- 3 अकादमी की बैठक के लिये एक तिहाई सदस्यों के कोरम की अपेक्षा होगी, परंतु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिये कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।
- बैठक में वपरिणत सन्दरमों में बहुमत अकादमी का निर्णय समझा जायमा ।

Belit

हर प्रतिकार । प्राप्त विक्रिय कि कि कि कि कि कि कि

। डि गोम कप्रू कि फि क्रांग एक ,डि छन्निए कि नामनुष्ट के प्रस्त और प्राप्ट निवासि धिनी के धेष किया निवास समारी , उत्पन्न किया के मिनाकार (क) र्जन किछीलीन्निन छिनिए में कड़िक किछीए प्रनामाप्त कि मिझकार .1

। १ए९४०० कि मकोशक के स्वरीम ११७७ डे(ए९) 

प्रिक्त कि कि कि किसी (तक मिन्नाकार) तापीमप नमधीन प्राप्त किंग्यर्ग प्रमिन ज्ञा ) हमानातृ प्राचित्रं हे एक देवता विकास कि विकास कि

निरम नम्बीकी कि तिमह्म कि अध्यक्ष किमी प्रथत इसिक

1 Artsto Aute Siste केठक किमाछ प्रनामाप्त कि अध्यक्ष प्राप्त किमि कं मित्रकाश इपितालक नजाम्याक कं मित्रकार त्रधीम्लीर 2. तुरानपत्र की प्रतियों, वित्तीय विवरण तथा उपधुक्त नियम (1) भ

ति तिर्गिष्ठ के प्रतकार न्यानी व्याप्तकार कि निविष्ण प्रस्

2 अस्तिहम से से अस्तिहम में से अस्तिहम सात 2. अध्याप्त के सम्बाध

पिंड कार्णाग्रं क तिमिष्ट क्षिकोक छिन्। क मिलकार (छ) र्गित जिम निमाए अध्यापण मेंग्राजी निरंगण दिन्छी। ग्रीनिम

ार्गात्र कि कि कि जिल्लीक कि तिथिए क्षिक्षेत्रक (ए)

। विश्व भूमा कि एम क्षित्रकार के दीवीए एसीए त्रोडरजाह (४) छ (६) प्रीह (१) एएनी एक रह एएनी १९५ (११)

। तिर्मात वि छा।एड ११३१४३११ विगरत र्नात हितार तन्त्रप्रस्थार होता वाध्या हो। व वाध्य वार्ष्याचार ि यात्रापन क एपक एट विश्वी प्रीय प्रमुक्त हैकि हीए (छ)

क विज्ञान क विश्वाकार का विवास विकास-विविः विविध क्षित्रकतिए कि तिलीष शिक्षितक

भागभगक तथा कालीवित होती । क्ष्री क रिश्व छानीमाक कि पिष्रकृष्ट के विभावत क्रिक्षिक्ष के हमार एडडांड कि तिर्वित विभिन्न छड़ाए। हितार के ठीलीए | Urkste Haktete कि निष्ठा कि फिक्स के विभागक । । । विभाग कि निर्देश । । ।

किसी प्रतिकृत प्रमात के सीमीत के मारा जिन्तिक्षित श्रक्तियों मन्द्रों का विक्रावित कार्य अवत (१) और (१) विक्राविक क्रिके

men negative de states from more depose of support out

( Jan J

तिविष्ट शिकोगक 01<sub>0</sub>

डिाघेराक शिष

400

P-IHIH

ļŧ

f=13

किमिष

प्रस्तुतीकरण, तथा प्रकाशन से संबंधित अपनी नीति निर्धारित करना ।

अपना कार्य और प्रशासन चलाने के लिये नियम बनाना, अपनाना (ख)

तथा परिवर्तन करना । सचिव को छोड़कर अकादमी के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाई. (ग) कार्यभार-मुक्त तथा पदच्युत करना ।

समिति की स्वीकृति से कर्मचारियों की सेवा शर्ते निर्धारित (घ)

अकादमी के लियें निधि प्राप्त करना, उसे रखना तथा खर्च (ड़) करना, तथा इसकी (अकादमी की) संपति तथा कार्यकलापों का प्रबंध देखना ।

अकादमी की पूर्व अनुमति से तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन (<del>च</del>) कोई संपत्ति खरीदना उसे ऋण पर लेना, अन्यथा संपति अभिगृहित करना, अथवा देखना ।

अकादमी के किसी कार्य को सामान्य रूप से चलाने हेतु, अथवा (छ) तदर्थ प्रयोजन के लिये एक अथवा उप समितियों की नियुक्ति करना ।

किसी सदस्य अथवा सदस्यों को (तीन से अधिक नहीं) किसी (ज) कार्य में उसका परामर्श लेने के लिये सहयोजित करना ।

अकादगी की स्थापना के एक वर्ष के भीतर समिति अकादमी के (31) कर्मचारियों (सचिव को छोड़कर) के सेवाभर्ती नियम बनाकर उनका गवर्निंग बॉडी से अनुमोहित मार्वाएगी।

संगिति अपने कर्मचारियों के सेविक्सबंधा मानला सींगिति अपने कर्मचारियों के अनुरेशिकार्यवाही करेगी (31)

कार्यकारी समिति की वैचक

- राणिति की वैठक महिद्धि में सिक्स रो निम्म एक बा निप्रवश्य आयोजित होगी, तथा प्रत्येत ऐसी नेट्रक रहे लिये तीन क्रियाहले श्रीत किया जायेगा । परतुष्णामाल चैठक 24 घंटे व स्थापना पर युलाई जा सकती है। बैठक की सूचना अकादमी के सारा दी जायेगी।
- सिव समिति के संयोजक होंगे, तथा अध्यक्ष से परामर्श के बाद वैतक बुलायेंगे ।
- राचिव प्रारा ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जारोगा ।
- भीजूदा सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का चिर्णम बाना जायेगा ।
- एक विहाई सदस्यों की वपस्थित पर कोरम पूरा शमङ्गा जामेगा । परंतु जस बैठक का अधिसृधित कार्य करने के लिये and the same of th वर्ध कारम अमेशित नहीं होगा ।

। गिरुक क्रिक्षित कि के के कि प्रभाग सिट्ट कि में प्राप्त र्न्पर राष्ट्र रिक्रिक्स राष्ट्रीयक कि है रिडर तथरीयहुर हि रिन्ह जीय में कड़ किकी तुरम , रिरंक कामध्यर कि कड़ कि तिमिष्ट हर ति , विक्रमान क्षेत्र अप्याध्य में कीश्रीमृह कि अध्यक्ष .a

। रिक्रांस्ट कड़ी में मल क रिम न्युक्पि प्रदेनाम (ई रिकार गए धाइक रए प्रमार-प्रमार ि फिल- \000 कि फ्राइम किंप्र नाव नित्र काशीपर में कठड़ कर्रुप कि जिमिष्ट शिक्येक एक ड्रिंक एनिकार

। गिर्फ्क न्यार न्ड्रांमृस्थ के गम्बी त्र्वी एक कनिमाष्ट्रार कि इप ककिप लाव लाल किकी किएक में मित्राकार तीमीए .8

। गार्गत्र किंग्जिशह अनास कि के किलेमिल जांबांध्य प्रन्थ वांबांधित के विश्वकार

। गिर्फाए कि छोए किमाइ ए।इ कि। 2. अकादमी के केपा की अकादमी हाया नियुक्त कि किये के

मक्कि तथा उसे समुद्धि मुन्देय अथवा यात्रा भक्त स्वीकृत प्रक क्रपृति अध्यामिक कि किवाकार कि क्रीफ नाव न्छर नाव ल्योग्रम एक स्मिप्रनिवि । एक स्मिप्तनि प्रक्षिति । ।

। है िकार रक

रिमानिक निर्मात कार्य क्षेत्रिक मिल्ली अध्यामिक तथि वर्ष

। तप्रााठ व्यक्ति जिल क्रियोक्षण १ एक एसट व्यक्त मिनिक प्राप्तान हे एक प्राप्तात का अपन्य हे लामांत्र, क्षानीक क्षे प्रका कि एक एक क्षिकी के छार छाए। काशर कीएए 

letette. दन्द्री कड़ीएकली छात्त कड़ीए हैं। एक विद्रावकाट हि एक अपन रिवानभन्न प्रमाट श्रीट विक्रिकींग्र विवर एक्षीकार वि विकासाद

1. fefti vitorion क होते । एक कर्ना के अनेतार वास अपूर सुनुक मच्या ताल क 6 treated addition that we have be a Buchas de material काद्यितीयर प्रावस्थार एकिक मायवाट प्रावस्था विकास कि एएसा क ही स्थाप्र दिख्डोपक विद्यों। काष्ट्राह विव विद्यों। काप्टी काप्त विद्यानक

अपितीन्त्रा अपन्धा

छाजामिक भा

TI3(\$P

ाछक क्य का

# URDU ACADEMY: DELHI

# MEMORANDUM OFASSOCIATION

# URDU ACADEMY: DELHI

- 1. The name of the Society shall be Urdu Academy of Delhi.
- 2. The Registered Office of the Society shall be CPO Building, Kashmere Gate, Delhi-110006.

# 3. FUNCTIONS AND OBJECTIVES OF THE SOCIETY:

- To preserve and promote the language and literature of Urdu as an integral part of the 3(1)linguistic culture of Delhi.
- To encourage and publish original works of literary and academic merit and also books for 3(ii) children in Urdu.
- To arrange translation in Urdu of literary and scientific and other works not higher to translated in urdu language.

REC

- 3(iv) To prepare and publish reference works in Urdu.
- 3(v)To publish properly edited texts of Urdu literature.
- 3(vi) To publish the so far unpublished works of merit in Urdu.
- 3(vii) To help deserving authors of Urdu in publication their work.
- 3(viii) To give monthly financial assistance to old and needy authors of Urdu.
- 3(ix)To give awards to authors of Urdu works published during previous one year.
- 3(x)To provide facilities, including financial assistance, for advanced study to Urdu scholars for specified period.
- To invite eminent scholars and other persons of eminence to deliver lectures. 3(xi)
- 3(xii) To organize seminars, symposia, conferences, and other gathering of an academic nature. inter-alia for discussion problems connected with Urdu in the perspective of world literary trends as also with respect to the implementation of Govt. orders regarding facilities for the teaching and use of Urdu and in pursuance of the aforesaid object to give financial assistance to various literary and cultural organizations who organize similar function.
- 3(xiii) To bring out journals, periodicals, magazines and similar publications in Urdu of a high standard.
- 3(xiv) To arrange for the sale of the matters published under these rules ON SUBSIDIZED RATES..
- 3(x)(v) To acquire moveable and immovable properties in the Academy provided that in case of acquisition of immovable properties prior approval of Govt. of NCT of Delhi shall be necessary.

people regarding the teaching and use of the Urdu including difficulties in the implementation of Govt. Orders.

. 3(x)(vii)To do all such legal acts and take all such legal steps as per likely to advance the objects specified above.

3(x)(viii)All income of the Society shall be utilized towards the promotion of aims and objectives of the Society.

\*\*\*\*\*\*\*





# समुदाय भवन, पदमनगर, किशनगंज, दिल्ली–110007 गढवाली, कुमाउँनी एवं जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार

# अतारांकित प्रश्न 57 विधायक श्री जितेन्द्र महाजन

્લ	प्रश्न क्र.संख्या
कला संस्कृति के अंतर्गत तथा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्त संस्थान में अध्यक्ष तथा वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष की क्या पावर होती है	प्रश्न
''संलग्न''	उत्तर

कार्यालयाध्यक्ष कुमाउँनी गढवाली एवं जीनसारी अकादभी (दिल्ली सरकार)

translators regarding their work. Check the manuscripts, get them edited and after obtaining the approval of the Chairman, arrange for the printing.

#### 9. Meeting of the Academy:

- The meeting of the Academy shall be held at least twice a year. Fifteen days notice to the members shall be necessary for convening the meeting of the Academy.
- The Secretary shall call the meeting after consulting the Chairman. 2.
- 8 members present shall constitute the quorum for the meeting provided that 3. no quorum shall be required for the meeting held to transact a business notified for the meeting which was adjourned for want of quorum
- The decision of the majority of the members present at the meeting shall be 4. deemed to be the decision of the Academy.
- A record of the proceedings of every meeting shall be maintained. 5.
- The first meeting of the year which will generally be held before 31" March shall 6. be the Annual General Meeting.
- A special meeting of the Academy can be requisitioned on fulfillment of the 7. following conditions:
  - The requisition is made by not less than 7 sitting members of the a. Academy
  - The requisition is made in writing to the Secretary under the signatures b. of the members concerned.
  - The subject matter which necessitated the requisitioned meeting is specifically stated.
- Business to be transacted at the Annual General Meeting: 10.
  - At the Annual General Meeting, the Secretary shall place the following matters:
    - The annual budget of the Academy Indicating estimates of the likely income and expenditure for the next financial year and the final supplementary demand for the current year.
    - The administrative report on the working of the Academy for the preceding year and outline of the future programme of work.
    - A balance sheet showing properly assets and liabilities of the Academy and the statement of accounts for the previous year duly certified by the Auditors.
  - Copies of the Balance Sheets, the Financial Statement and the report of the 11. working of the Academy referred to in rule (1) above shall be send by the Secretary to the Chief Minister, Delhi within 15 days of the Annual General Meeting.

Any other matter that may be brought forward only with the approval of the Chairman.

#### **Executive Committee:** 11.

The Executive Committee shall consist of the following members:

Chairman of the Academy

कार्यालयाध्यक्ष कुमार्जेनी गढवाली एवं जीनसारी अकादमी (टिस्सी सरकार)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

- 11. Vice-Chairman of the Academy
- 111. 5 members selected by the Chairman from amongst those included in Clause 3 (2) but excluding the members nominals Vice-Chairman of the Academy as per
- Secretary of the Academy-Convener: The Secretary of the Academy shall be IV. Convener of the Executive Committee.
- The term of the office of the Chairman and the members of the Executive Committee shall be 2 years coinciding with the term of the Academy.
- Sub-rule (1) and (3) to (4) shall, mutatis mutandis, apply to the members of the VI. Committee as well.
- If any member does not attend three consecutive meetings of the Committee without any valid reason, he shall cease to be the member of the Committee VII. after a notification to this effect is issued by the ". Minister, Delhi.

#### Powers of the Executive Committee: 12.

- The Committee shall give effect to the decisions of the Academy on matters of policy and arrange for carrying on the work of the Academy.
- The Committee shall have all powers which may be necessary or expedient for carrying out the objects of the Academy as set out in the Memorandum of the ii.
- Without prejudice to the generality of the powers conferred by such rule (1) & (2) above, the Committee shall have the following powers: iii.
  - To lay down its own policy regarding promotion and publication of books and other literature in Kumaoni-Garhwali and Jaunsari
  - To make adopt and alter rules for conducting its business and b.
  - To appoint, confirmed, discharge and dismiss staff of the Academy
  - To prescribe the conditions of the service of the employees with the c. d. approval of the Academy.
  - To receive hold and expand the funds of the Academy and to manage its properties and affairs.
  - To purchase, take on loan or otherwise acquire or dispose off any property with the previous approval of the Academy and subject to the f. consent of the Chairman.
  - To appoint one or more such Committees for carrying on any function of the Academy generally or for any ad-hoc purpose. g.
  - To co-opt any member (not exceeding 3) for purpose of obtaining his (their) advice in carrying out any of its function.

#### Meeting of the Executive Committees: 13.

- The Committee shall meet at least once in every month and three days notice shall be necessary for every such meeting. But emergency meeting can be called at twenty four hours notice.
- The Secretary of the Academy shall be the convener of the Committee and he 11. shall call the meeting of the committee after consultation with the Chairman.
- A record of the proceedings of every such meeting shall be kept. 111
- The decision of the meeting of the members present at the meeting shall be deemed to be the decision of the Committee.

कार्यालयाध्यक्ष

कुमाउँनी गढ़वाली एवं जीनसारी अकादमी

(दिल्ली सरकार)

Scanned by CamScanner

दिल्ली सिंधी अकादमी का संघ-ज्ञापन Memorandum And Rules

Of Association
of
SINDHI ACADEMY, DELHI



सिंधी अकादमी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डी.डी.ए. समुदाय केन्द्र सदर थाना रोड, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110 055 दरभाष : 3670319, 3553392



सिंधी अकादमी, दिल्ली

डॉ. रमेश एस्. लाल सचिव सिंधी अकादमी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली-110006

भेजेगा और त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तारीख से प्रभावी होगा।

- पदेन सदस्यों से भिन्न अकादमी की सदस्यता की कोई भी रिक्ति मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा भरी जाएगी एवं ऐसी नियुक्ति अकादमी की अनबीती अवधि तक के लिए होगी।
- के नामित किये जाने में कोई त्रृटि रहने तथा किसा भी सट दा क नामित अथवा नियुक्त न किये जाने अथन्। उसमें कोई त्रुटि रहते अकादमी में कोई भी पद रिक्त होने और इसकेनिकसी भी सदस्य के बावजूद अकादमी अपना कार्य करती रहेगी।
- अध्यक्ष :

दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंधी अकादमी के अध्यक्ष होंगे।

- उपाध्यक्ष :
- 1. उपर्युक्त हिल्लिखित अकादमी पदेन सदस्यों एवं लकादमी के सचिव से भिन्न सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का च्नाव करेगी।
- उन्देयत नियमों के अधीन चना गया ऐसा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की गैर-हाजिर में अकादमी की बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की रामस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 1. अकादमी के सचिव को नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। उसके फर्तव्यों के समुचित निष्पादन के लिए सहायक यात्रा-भत्ता एवं अन्य सुविधाएं उसे स्वीकृत की जायेंगी।
- अकादमी का सिचय अध्यक्ष के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन के तथा अकादमी के प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधीन अकादमी के दिन-प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा किये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा। N

3. सिविव को अकादमी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैतनिक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

# सचिव के अन्य कार्य : 00

- 1. सिमिति द्वारा दिये जाने वाले निदेशों के अधीन सिचव मुख्य दर्शन से अकादमी के समुचिन पशासन के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यकारी अधिकारी होगा जोिक अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्ग-
- सचिव अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट, उसका लेखा तथा बजट सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार
- 3. सचिव कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेंगे तथा यथा आवश्यक पर्यंबेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेंगे।
- दिल्ली शासन के विभिन्न विभागों तथा इसके स्थानीय निकायों से उनके कार्य के बारे में लिखा-पढ़ो करेरो, पाण्डुलिपियों की से सम्पर्क भी बनाये रखेंगे। इसके अतिरिक्त लेखकों, अनुवादकों जांच करेंगे राथा उसका सम्पादन करवायेंगे और अध्यक्ष को सहमाति लेने के बाद उनको छपवाने की व्यवस्था करेंगे।

# अकादमी की बैठक :

- ब्लाने के लिए सदस्यों को कम-से-कम 15 दिन पहले सूचित असादमी की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार होगी। बैठक किया जादेगा।
- सिवा अध्यक्ष से परामशे करने के बाद बैठक ब्रुलायेंगे।
- 3. अकादमी की बैठक के लिए 8 सदस्यों की कोरम की आवश्यकता गी परन् उस बैठक का अधिस्चित कार्य करने के लिए कोई तिय आवश्यक नहीं होगा जो कोस्म के अभाव में स्थागित कर
- 1. ब्राटक में उपस्थित सदस्यों में से आधिकांश सदस्यों के निर्णय को अकाटमी का निर्णय समझा जायेगा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, डॉ. रमेश एस. लाल सचिव सिंधी अकादमी, 1

नई दिल्ली-110006

57 श्री जितेन्द्र महाजन, माननीय विधायक, दिल्ली विधान सभा क्या माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

ड	कला संस्कृति के अंतर्गत तथा दिल्ली सरकार के अंर्तगत आने वाले सभी स्वायत्त संस्थान में अध्यक्ष तथा वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष की क्या पावर होती है	उपाध्यक्ष की पावर साहित्य कला परिषद् के मेमोरडम (Memorandum & Rules
		Regulations) में दर्ज की गई जिसकी प्रतिलिपि अनुलंग्नक (ग) संलग्न है!

प्राचीय शर्मा) कार्यालय प्रमुख/साठक०प०





# Sahitya Kala Parishad, Delhi

Govt. of N.C.T. of Delhi Academy of Music, Dance, Drama & Fine Arts

Registered under societies Registration Act-XXI of 1860 Registration No. S-7756, 31st July 1975

Memorandum and Rules & Regulations

18-A Satsang Vihar Marg. Special Institutional Area, new Deihi-110067
Tel: 2686 7636, 2686 7637 Fax: 26966894

(संतोष शर्मा) वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख Amended Memorandum and rules & Regulations as approved in the meeting of the Special Committee held on 8-10-1992.

Sahitya Kala Parishad was registered under Societies Registration

Act-XXI of 1860 in the year 1975 Registration No. S/7756 of 1975

with 100% grant-in-aid body of Delhi Administration. The aim

of the society was to promote literature, performing and visual

arts. However, with the establishment of literary Akademies by

Delhi Administration i.e. Hindi, Urdu and Punjabi Akademies,

there is a need to amend the objectives and activities of the

Parishad. The Parishad will look after the projects, programmes

Schemes pertaining to performing and visual art.

(संतोष शर्मा) वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख

# Memorandum and Rules & Regulations

# 1. Name:

The name of the Society shall be "Sahitya Kala Parishad, Delhi"

# 2. Registered Office:

The registered office of the society will be in the Union Territory of Delhi

# Objectives & Activities :

The object for which the society is set up are:

- To promote performing and visual arts and to effect co-ordination between artistes and art institutions.
- To co-ordinate artistic activities in the field music, dance, drama and fine arts in Union Territory of Delhi
- iii) To make arrangements & give encouragement for the translation of works in the field of music, dance drama and fine arts.
- To publish or get published the works on music, dance drama and fine arts.
- To give recognition and financial assistance to meritorious institutions connected with performing and visual arts.
- vi) To organize or get organized conferences, seminars, exhibitions etc. at all India and regional levels in the context of visual and performing arts.
- vii) To award prizes distinctions and re-cognition to artistes for their outstanding contribution in the field of music, dance, drama and fine arts.
- viii) To promote research and to give scholarships as will as fellowships in the field of performing and visual arts.
- ix) To undertake all possible steps to propagate art and culture
- To organise performances, concerts, festivals and exhibitions and to present National and International artistes in performing and visual art
- xi) To foster cultural contacts between different regions of the country and also with other countries in fields of performing and visual arts.
- xii) To accept grants of money, securities or property on such terms as may seem expedient for furtherance of the objectives of the society.

(संतोष शमी)

- xiii) To acquire by gift, purchase, exchange, lease, hire or otherwise any property movable or immovable in the furtherance of the objectives of the society and to build, construct, improve, alter, demolish and repair such buildings, works and constructions as may be necessary for carrying out the objectives of the society.
- xiv) To discover the art & culture of Delhi and promote the same.
- xv) To promote artistic talents of children in the field of performing and visual arts.
- xvi) To establish repertory companies to impart training in the fields performing and visual arts.
- xvii) To take up various schemes and programmes for promoting regional languages particularly in the field of performing and visual arts, except those for which separate language academies are constituted in the Union Territory of Delhi.
- xviii) To produce or get produced documentary films in the field of performing and visual arts.
- xix) To do all other acts and things which may be considered necessary for achieving the objects of the Society whether they find mention above or not.

(संतोष शर्मा)

वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख

# **RULES & REGULATIONS**

# 1. Name:

The name of the Society shall be "Sahitya Kala Parishad, Delhi"

# 2. Registered Office:

The registered office of the Society will be in the Union Territory of Delhi.

## 3. Definition

Under these rules and regulations, unless the context otherwise requires:-

- i The "Parishad" shall mean the Sahitya Kala Parishad, Delhi.
- The "Council" (Sabha) shall mean the General Council (Parishad Sabha) comprising of all the members of the Parishad as constituted under these rules.
- The 'Board' (Samiti) shall mean the Executive Board (Karyakari Samiti) constituted under these rules, and
- iv The 'art' shall mean all performing, plastic and fine arts.

# 4. Organization of the Society:

The Society shall be registered under the Societies Registration Act, 1860 having perpetual succession and a common seal with power to sue or sued by this name.

# 5. Objectives and activities:

Same as in the Memorandum.

## 6 Membership:

Sahitya Kala Parishad will consist of the following members hereinafter collectively referred to as the General Council, namely:-

- a) Chairman-(Hon'ble Chief Minister, Delhi).
- \*\* b) Vice-Chairman (Hon'ble Minister of Education, Delhi)
  - c) Financial Advisor, SKP
  - d) Secretary, Finance (Govt. of N.C.T. of Delhi)

\*Meeting of the General Council held on 25-4-1995 resolved that Hon'ble Chief Minister will be the Chairman and Hon'ble Minister of Education will be the Vice-Chairman of the Sahitya Kala Parishad.

\*\*In the meeting held on 15-2-1988 the Chairman of Sahitya Kaia Parishad nominated Secretary (Finance) as one of the Ex-Officio member of the General Council

Note:- The society is registered with the Register under the Societies Registration Act, 1860 - Registration No. S-7756 of 1975.

(संतोष शर्मा)

# साहित्य कला परिषद्

# अनुलग्नक "ग"

6/ c

- e) Secretary, (Education), Govt. of N.C.T. of Delhi.
- f) Director of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- g) Deputy Commissioner, Delhi.
- h) Secretary to Lt. Governor, Delhi.
- i) Director, Information & Publicity, Govt. of N.C.T. of Delhi
- j) One representative of the Deptt. of Culture, Govt. of India.
- k) Three representatives nominated by the three National Academies.
- One representative nominated by the Ministry of Information & Broadcasting Govt. of India.
- m) There will be three representatives for the following categories (to be nominated by the Chairman):-

Regional Languages-1

Dance-3

Music-3

Fine Arts-3

Theatre-3

Others-2

 Four representatives of the leading cultural institutions of Delhi to be nominated by the Chairman.

Provided that all members except there ex-officio members shall be such members for a period of one year and shall be eligible for reappointment

# 7) Officers of the Parishad:-

- a) Chairman.
- b) Vice-Chairman.
- c) Financial Advisor.
- d) Secretary

### 8) Chairman:

- i) \* The Chairman shall be Ex-Officio Chief Minister of Delhi.
- The Chairman shall nominate members of the Parishad, provision for which exists in these rules.
- iii) The Board may by resolution delegate to the Chairman such of its powers for the conduct of business of the Parishad as it may deem fit.
- iv) The Chairman may delegate such of his powers as may be considered necessary to the Vice-Chairman or to the Secretary.

\*as amended

(संतोष शर्मा)

वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख

# साहित्य कला परिषद्

# अनुलग्नक "ग"

5/4

# 9) Vice-Chairman:

- \* The Hon'ble Minister of Education, Delhi will be the Ex-Officio Vice-Chairman of the Parishad.
- ii) The Vice-Chairman shall in the absence of the Chairman, perform and exercise all the functions and powers of the Chairman.

# 10) Financial Advisor:

- Concerned Deputy Secretary (Fin.) of Govt. of N.C.T. of Delhi will be the Ex-Officio Financial Advisor of the Parishad.
- The Financial advisor shall generally advise on all matters relating to the finances of the Parishad and shall have the following powers and functions.
  - To examine and scrutinize the budget of the Parishad.
  - b) To consider the audit reports and to advise the follow up action.
  - c) To give advice on financial questions affecting the Parishad either on his own initiative or at the instance of the Secretary or any other body of the Parishad.
  - d) Under the overall supervision of the Executive Board, to ensure that funds are spent only for the purpose for which authorized or allotted.
  - e) To exercise other powers and functions that may be entrusted to him from time to time by the Executive Board.
  - f) To authenticate the balance sheet audited by the Chartered Accountant of the Parishad.

# 11. Secretary:

The Secretary shall be the Principal Officer of the Parishad and shall be appointed by the Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi on such terms and conditions as the Executive Board and may determine. The Secretary shall be Ex-Officio Secretary of the General Council, Executive Board, Finance Committee and all other Committees or Sub-Committees, that may set-up by Chairman, General Council or Executive Board. It would be the duty of the Secretary:-

a) To be the custodian of the records and such other property of the Parishad as the Executive Board may commit to his charge.

\*as amended

(संतोष शर्मा)

- To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the Parishad.
- c) To issue all notices convening meetings of authorities of the Parishad and all Committees appointed by any of these authorities.
- d) To keep the minutes of all meetings of the authorities of the Parishad and all Committees appointed by any of these authorities.
- e) To maintain accounts of the Parishad with the aid of Financial Advisor and Finance Officer.
- Subject to the control of the Executive Board, to manage the property and investments of the Parishad and to be responsible for the preparation of the annual estimates and statements of account and for their presentation to the Executive Board and to the General Council
- g) Subject to the powers of the Executive Board, to be responsible for seeing that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted.
- h) To sign all contracts and assurance of the property made on behalf of the Parishad after the same have been approved by the Executive Board, and
- To exercise such other powers as may be assigned to him by the Executive Board or the General Council.

# 12. Authorities of the Parishad:

The following shall be the authorities of the Parishad, namely:-

- i. The General Council.
- ii. The Executive Board
- iii. The Finance Committee, and
- iv. Any other Standing Committee or Committees or Sub-Committees which the Chairman, General Council or Executive Board may set-up for discharging any one or more of their functions.

(संतोष शर्मा) वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख

# 13. General Council:

All the members of the Parishad as mentioned in rule-6 above will constitute the General Council. The General Council will be an advisory body and have the following powers and functions:-

- i) To elect the four members for the Executive Board
- ii) To elect two members of the Finance Committee
- iii) To nominate the Auditor
- iv) To give policy directions for the activities and programmes of the Parishad and give general approval for the activities to be undertaken by the Parishad during a year.
- v) To elect Sub-Committees etc. in pursuance of the duties entrusted to it.

# 14. Meeting of the General Council:-

There would be at least one meeting of the General Council in the year, time, place and date of which will be determined by the Chairman, A special meeting of the Council can be called by the Chairman at any time. One week's notice will be necessary for all the meetings of the Council, except in special circumstances, in which three day's notice would suffice.

# 15. Members of the Executive Board:

- a) Chairman
- b) Vice-Chairman
- c) Financial Advisor
- d) Secretary
- Secretary (Education), Govt. of N.C.T. of Delhi.
- f) Director of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- g) Five members elected by the General Council from amongst its members.
  - h) Secretary (Finance), Govt. of N.C.T. of Delhi.

# 16. Functions of the Executive Board:

The Executive Board shall have the following powers and function namely:-

- The general superintendence, direction and control of the affairs of the Parishad.
- b) To exercise the executive authority of the Parishad subject to policy directives of the General Council.
- c) To be responsible for the supervision and control of the work of the Parishad and its office.

\*amended from four to five

(संतोष शर्मा) <del>वित्त अधिकारी / कार्या</del>लय प्रमुख



- d) To approve programmes and projects to be undertaken by the Parishad.
- e) To prepare the annual report and accounts of the Parishad for the consideration of the General Council.
- f) To lay down terms and conditions for the appointment of the Secretary of the Parishad and other members of the Staff, except those, the power to appoint whom is delegated to the Secretary.
- g) To nominate a person or persons to represent the Parishad in National and International conferences and organizations.
- h) To prescribe the terms and conditions of service of all posts and under the control of the Parishad.
- Subject to the provisions of these Rules and Regulation, to do all or such other acts as may in its opinion, be necessary for the proper management of the affairs of the Parishad.

# 17. Finance Committee:-

The Finance Committee shall consist of the following members namely:-

- a) The Financial Advisor.
- b) Two representatives of the General Council who shall be elected by the Council from among its members.
- c) One representative of the Executive Board, who shall be elected by the Board from amongst its members.
- d) One representative of the Finance Department, to be nominated by the Secretary Finance.
- One representative of the Education Department to be nominated by the Secretary Education/Culture.

# 18. Functions of the Finance Committee:-

The Finance Committee shall consider the budget estimates of the Parishad, make recommendations there on to the Executive Board and prescribe the limit for total expenditure within a financial year.

# 19. Cancellation of membership:-

- a) The Chairman of the Parishad can cancel the membership of any except the Ex-Officio members without giving any reason.
- b) All vacancies in the various committees of the Parishad except that of the Ex-Officio members, would be filled in by the same person or the

संतोष शर्मा)



committee which is entitled to fill-up by appointment, nomination, election or co-option. The person who fills up such vacancy shall continue only for the reminder of the term of the member, in whose place he has been appointed, nominated, or elected. No action of any committee or body of the Parishad shall be invalidated or nullified merely by reason of the existence of any vacancy therein or defect in the manner of filling those vacancies.

# 20. Quorum:

One fourth of the total strength of the Committee or Council, of which the meeting is held, must be present in the meeting.

# 21. Amendment:

The constitution of the Parishad can be amended only on the recommendation of at least three fourth members of the council and approval of the Administrator of Delhi.

# 22. Bank Account:

An account in the name of the Parishad will be operated in the Bank by the Secretary, the Financial Advisor and the Finance Officer or any other person authorized by a resolution of the Executive Board and any drawal of the amount from the same should be under the signature of any two of them.

#### 23. Dissolution:

In case of the dissolution of the Parishad all the assets shall vest in the Government after the satisfaction of all loans and due payments.

#### 24. Rules:

- a) The Executive Committee may frame such rules & regulations which it may deem fit for the proper functioning of the Parishad.
- b) All the Provisions of the Societies Registration Act, as in force in the Union Territory of Delhi will apply to this Society.

\*\*\*\*

Note:- The word "Delhi Admn," appearing in the above rules has been replaced by "Govt. of N.C.T. of Delhi".

(संतोष शर्मा)

वित्त अधिकारी / कार्यालय प्रमुख

'20'

Jud Flani Jeornia

9/8/19 CABINET MATTER
FOULTMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FILINERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(CO-ORDINATION BRANCH)

DELHI SECRETARIAT, LP. ESTATE, NEW DELHI

No F 3/3/2018/GAD/CN/ 516 8 3,199

Dated: 9 8 2 18

1 Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.

2 Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.

3 Secretary to Dy Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.

4 Secretary to Minister, Labour Govt of NCT of Delhi.

5 Secretary to Minister Health, Govt. of NCT of Delhi.

6 Secretary to Minister, Food and Supply, Govt. of NCT of Delhi.

7 Secretary to Minister, Tourism, Govt. of NCT of Delhi.

8 Secretary to Minister, Transport, Govt. of NCT of Delhi.

9 Chief Secretary, Govi of NCT of Delhi.

10 Additional Chief Secretary (Home) Govt. of NCT of Delhi.

11 Additional Chief Secretary (PWD) Govt. of NCT of Delhi.

12 All Pr Secretaries/Secretaries, Govt of NCT of Delhi

1018/10

128/18

Sub: Minutes of the meeting of the Council of Ministers dated 07 08 2018.

Sir/Madam.

The Minutes of the meeting of the Council of Ministers held on 07 08 2018 signed by Chief Secretary/ Secretary to the Council are circulated herewith.

Yours sincerely.

Encl: As above

(Manoj Parida)
Joint Secretary to the Council

अधीक्षक.

हिन्दी अकादभी, दिल्ली

. .



SECRET



# GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELIL (GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT)

The Council of Ministers met on Tuesday the  $07^{th}$  August, 2018 at 12:30 PM in CM Office, Delhi Secretariat

#### Present

- In Chair Shet Arvind Rejriwal, Chief Minister/Minister (Water)
- Shel Manish Stsodia, Deputy Chief Minister [Edn/Pln/Plg/ 2 L&B/Vig/Services/WCD/Tourism/ACL]
- Shri Gopal Rat, Minister [Emp/Dev/Lab/GAD] 3.
- Shri Satyendar Jalu, Minister [H&FW/Inds/PWD/Power/ Home/IID/ISFC]
- Shri Inwan Husain, Minister [F&S/E&F/Election] 5.
- Shri Rajendra Pal Gantam, Minister [Gurudwarn Elections/ 6. SC&ST/SW/Conperative]
- Shet Kailash Galilot, Minister [L&]/Tpt/AR/FF/Rev]

The following officers were present

- Shri Manoj Kumar Parida, Chief Secretary (I/c)/Addl. Chief Secretary (GAD) 1.
- Smt. Renti Sharma, Pr. Secretary (Finance)
- Shot A.R. Memiliratta, Pr. Secretary (LJ&LA) 3
- Shel Sanjeev (Chirwar, Secretary (Health) 4.
- Ms. Rinku Dingga, Secretary (ACL) 5.
- Ms. Hashmi Krishnan, Serretary (Social Welfare)

For their

respective items

# CIRCULATED ITEM

ITEM 1:

Revision of Fluancial Assistance Scheme for People living with HIV/AIDS (PLRAs)/Children Living with HIV/AIDS(CLHAs)/Orphan Children infected with HIV/AIDS (OCIS) & Orphan/Destitute Children Affected by HIV/AIDS (OCAS).

Decision:

The Council of Manisters considered the note of Secretary (Health) and approved the

2600

proposal contained in page 10 of the Cabinet Note.

# हिन्दी अकादमी, दिल्ली समुदाय भवन, पंदम नगर, किशनगंज, दिल्ली-110007

TTIM !

Proposed for Amendment in the Schome for Fluancial Assistance to Persons with

Special Bends.

Decision:

this council of Montages considered the note of Secretary (Suctal Welface) and

'611 '

upproceed the propersal contained to para 11 of the Calmort Bute

ITEM T

Establishment of Marathi Academy in NCT of Dollif

Decision

The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2600

proposal continued to para 9 of the Cabinet Note with the modification that Han'ble

Manister (At L) wall be the Ex officin Chaleman

ITEM 4:

Establishment of Gujaratt Academy in NCT of Dejhi

Decision

The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2600

proposal contained in para 9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Minister (ACL) will be the list officin Chaleman.

ITEM 5:

isstablishment of Hengall Academy in NCT of Delhi.

Decision

The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

Colii

proposal contained in para 9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Minister (ACL) will be the fix officin Chaleman

ITEM 6:

Establishment of International Languages Academy in NCT of Delhi.

Decision:

The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2611

proposal contained in para 9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Minester [At,L] will be the Ex-officio Chairman

ITEM 7:

Establishment of Pali & Prakrtl Academy in NCT of Delhi.

Decision:

The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2612

proposal contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Ron'ble

Minister (ACL) will be the Ex-officio Chairman.

ITEM B:

Establishment of Kumaont-Garhwali and Jaunsari Academy in NCT of Delhi.

Decision:

The Louis if of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2613

proposal contained in para-9 of the Cablnet Note with the modification that Hon'ble

Mineaer (ACL) will be the Ex-officio Chairman

अमीटम्ह. 18-री अकादमी, दिल्ली

# हिन्दी अकादमी, दिल्ली समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली–110007

2613

ITEM 9: 1-St. doll dement of Marwadi Academy in NCT of Dolhi.

Decision: The Council of Manusters considered the note of Secretary (ACL) and approved the

perposal contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Manustry (ACL) will be the fex-officin Charman

FTEM 10 Establishment of Kashmirl Academy in NCT of Dolbt.

Decision: The Council of Monsters considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2014 progress contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

More ter (50%) will be the Ex-officio Charman.

ITEM 14: Establishment of Assamese Academy in NCT of Delhi.

Decision: The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2015 proper food or of in para 9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Marister (Act) will be the Ex officia Chairman.

ITEM 12: Establishment of Haryanyl Academy in NCT of Delhi.

Decision: The Louncal of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2616 proposal contained in para 9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Manister (ALL) will be the Ex-officio Chairman.

ITEM 13: Establishment of Orlya Academy in NCT of Delhi.

Decision: The Council of Manisters considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2617 proposal contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Minister (Ac.1.) will be the Ex-officio Chaleman.

ITEM 14: Establishment of Kannada Academy in NCT of Delhi.

Decision: The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2618 proposal contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Minister (ACL) will be the Ex-officio Chairman.

ITEM 15: Establishment of Malayalam Academy in NCT of Delhi.

Decision: The Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

2619 proper if contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon'ble

Manuster (ACL) will be the Ex-afficio Chauman.

· anger

# समुदाय भवन, पदम नगर, किशनगंज, दिल्ली-110007 किन्दी अकादमी, दिल्ली

P. t. Sdi Sincert of Lebuga Academy in ACT of Delbd.

the council of Elintsters considered the note of Secretary (ACL) and approved the

Decision: THE WILL

proposal contained in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hou'ble

0797

dimension (ACL) will be the fix office for emission

Pstabilishing to Tamil Academy in MCT of DelbL

TEM 17.

) in Council of Ministers considered the note of Secretary (ACL) and approved the

Doctslan:

proposal contagned in para-9 of the Cabinet Note with the modification that Hon ble

1797

Mudater (Act) will be the Ex-officin Chalcuan.

TABLED PERMISTER NET WITH THE WITH THE AGENDA

Department. Chairman ship of Other Academies/Organizations under Art, Culture & Language BLEW IB

will be the Cauthon Chairman instead of Hon'ble Chief Minister. Surable modifications Art, Culture & Language Department, the Hon'ble Minister (Art, Culture & Language) The Council of Ministers decided that in all Academies presently functioning under the

25622 Decision.

F297

BLEW LOS

in the Academy/Saciety fulles/Bye-laws may be made at the earliest

amended from Financial Year 2018-19, the MLALAD Fund will be Rs.10 Crore for each crowe for early assembly constituency under the MLALAB Scheme was provided, be 01.24 by dated 08.09.2016 vide which any time additional allocation of Re.10 parax of Della, overall adhition and demand of Hon'ble MLAs, the earlier Cabinet The Count it of Ministers decided that leeping in view the pathetic condition of several

on development and the goodchies and procedures will be finalized and opproved by the voiced by their public representatives, amendment in the list of world/schemes to be it was further devided that keeping in view the diverse needs of criticens of Delhi as consequence of hermonent measures

frontide Minlarer (GD) from time to fine.

-/ps

Secretary to the Cabinet (Abrief Temmil (oneM)